



# भारतीय खाद्य निगम

विज्ञापन सं 02/2019-एफसीआई श्रेणी-2

## प्रबंधक (सामान्य/डिपो/मूवमेंट/अकाउंट्स/टेक्निकल/सिविल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग/हिंदी) की अंचलवार भर्ती

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े प्रतिष्ठानों में से एक है, जो राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में संलग्न है. निगम द्वारा देशभर में फैले अपने विभिन्न डिपों और कार्यालयों में नियुक्ति के लिए नीचे वर्णित पदों हेतु ऐसे पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित हैं, जो निर्धारित योग्यताएं, आयु, अनुभव आदि की शर्तें पूरी करते हों.

प्रबंधक (सामान्य/डिपो/मूवमेंट/अकाउंट्स/टेक्निकल/सिविल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग/हिंदी) के पद के लिए उम्मीदवारों का चयन प्रबंधन प्रशिक्षार्थी के रूप में किया जाएगा और उन्हें 6 महीने के लिए प्रशिक्षण के आधार पर नियुक्त किया जाएगा. प्रशिक्षण की अवधि में केवल समेकित वजीफे के रूप में रु. 40,000/- (चालीस हजार मात्र) की दर से मासिक भुगतान किया जाएगा. प्रबंधन प्रशिक्षार्थियों को 6 महीने की प्रशिक्षण की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर लेने के बाद रु. 40,000-1,40,000/- के आईडीए वेतनमान में प्रबंधक के रूप में आमेलित किया जाएगा.

जोन-वार और पदवार रिक्तियां

उत्तरी जोन

पद	पद कोड	वेतनमान (आईडीए पैटर्न) रु. में	01.08.2019 को अधिकतम आयु सीमा	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस *	अना	कुल	शारीरिक विकलांग				कुल
										ए	बी	सी	डी और ई	
प्रबंधक (सामान्य)	ए	40000-140000/-	28 वर्ष	0	0	3	1	4	8	3 (बी, एलवी)	0	0	2 डी (ए, आईडी, एसएलडी, एमआई) और ई (ए, बी, सी, डी)	5
प्रबंधक (डिपो)	बी	40000-140000/-	28 वर्ष	17	10	5	5	9	46	6 (एलवी)	2 (एचएच)	0	0	8
प्रबंधक (मूवमेंट)	सी	40000-140000/-	28 वर्ष	4	2	4	1	1	12	1 (बी, एलवी)	1 (एचएच)	0	0	2
प्रबंधक (लेखा)	डी	40000-140000/-	28 वर्ष	17	3	16	7	25	68	0	6 (एचएच)	0	0	6
प्रबंधक (टेक्निकल)	ई	40000-140000/-	28 वर्ष	4	2	4	4	30	44	0	1 (एचएच)	2(ओए, सीपी, एलसी, डीएएवी, एमडी)	0	3
प्रबंधक (सिविल इंजीनियरिंग)	एफ	40000-140000/-	28 वर्ष	0	0	1	0	3	4	0	0	0	0	0
प्रबंधक (इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग)	जी	40000-140000/-	28 वर्ष	0	0	2	1	2	5	0	0	0	0	0
कुल				42	17	35	19	74	187	10	10	2	2	24

उपरोक्त रिक्तियों में बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं :

प्रबंधक (सामान्य) : बेंचमार्क विकलांगताओं से सम्बद्ध व्यक्ति-3 (बी, एलवी), प्रबंधक (डिपो) : बेंचमार्क विकलांगताओं से सम्बद्ध व्यक्ति -5 (एलवी), 2 (एचएच) प्रबंधक (लेखा): अपिव-7, बेंचमार्क विकलांगताओं से सम्बद्ध व्यक्ति -6 (एचएच), प्रबंधक (सिविल इंजीनियरिंग) : अपिव-1

दक्षिणी जोन

पद	पद कोड	वेतनमान (आईडीए पैटर्न) रु. में	01.08.2019 को अधिकतम आयु सीमा	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस *	अना	कुल	शारीरिक विकलांग				कुल
										ए	बी	सी	डी और ई	
प्रबंधक (सामान्य)	ए	40000-140000/-	28 वर्ष	3	0	0	0	6	9	0	0	0	0	0
प्रबंधक (डिपो)	बी	40000-140000/-	28 वर्ष	0	0	3	0	3	6	0	0	0	0	0
प्रबंधक (मूवमेंट)	सी	40000-140000/-	28 वर्ष	4	2	3	1	9	19	0	0	0	0	0
प्रबंधक (लेखा)	डी	40000-140000/-	28 वर्ष	5	3	9	3	10	30	0	01	1(ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डी, एएवी, एमडी)	0	1
प्रबंधक (हिंदी)	ई	40000-140000/-	35 वर्ष	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
कुल				12	5	15	4	29	65	0	1	0	0	1

उपरोक्त रिक्तियों में बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं :

प्रबंधक (मूवमेंट) : अजा-02, अजजा-01, प्रबंधक (लेखा) : अजा-03, अजजा-03, अपिव-09, अना-08, बेंचमार्क विकलांगताओं से सम्बद्ध व्यक्ति -01 (ओएच), प्रबंधक (हिंदी) : अना-01

पश्चिमी जोन

पद	पद कोड	वेतनमान (आईडीए पैटर्न) रु. में	01.08.2019 को अधिकतम आयु सीमा	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस *	अना	कुल	शारीरिक विकलांग				कुल
										ए	बी	सी	डी और ई	
प्रबंधक (सामान्य)	ए	40000-140000/-	28 वर्ष	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
प्रबंधक (डिपो)	बी	40000-140000/-	28 वर्ष	0	0	2	0	2	4	0	0	0	0	0
प्रबंधक (मूवमेंट)	सी	40000-140000/-	28 वर्ष	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
प्रबंधक (लेखा)	डी	40000-140000/-	28 वर्ष	3	2	2	0	0	7	0	0	0	0	0
प्रबंधक (टेक्निकल)	ई	40000-140000/-	28 वर्ष	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
प्रबंधक (हिंदी)	एच	40000-140000/-	35 वर्ष	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
कुल				3	3	6	0	3	15	0	0	0	0	0

उपरोक्त रिक्तियों में बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं :

प्रबंधक (लेखा) : अजजा-01, प्रबंधक (टेक्निकल) : अजजा-01

पूर्वी जोन

पद	पद कोड	वेतनमान (आईडीए पैटर्न) रु. में	01.08.2019 को अधिकतम आयु सीमा	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस *	अना	कुल	शारीरिक विकलांग				कुल
										ए	बी	सी	डी और ई	
प्रबंधक (सामान्य)	ए	40000-140000/-	28 वर्ष	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0
प्रबंधक (डिपो)	बी	40000-140000/-	28 वर्ष	2	0	5	4	9	20	1(एलवी)	0	0	1 ई (ए, बी, सी)	2
प्रबंधक (लेखा)	डी	40000-140000/-	28 वर्ष	0	3	4	2	0	9	0	1(एचएच)	0	0	1
प्रबंधक (टेक्निकल)	ई	40000-140000/-	28 वर्ष	1	0	3	1	0	5	0	0	1 (ओ, ए, सीपी, एलसी, डी, एएवी, एमडी)	0	1

(जारी)

पद	पद कोड	वेतनमान (आईडीए पैटर्न) रु. में	01.08.2019 को अधिकतम आयु सीमा	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस *	अना	कुल	शारीरिक विकलांग				कुल
										ए	बी	सी	डी और ई	
प्रबंधक (हिंदी)	एच	40000-140000/-	35 वर्ष	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
कुल				3	4	12	8	10	37	1	1	1	1	4

उपरोक्त रिक्तियों में बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं :

प्रबंधक(सामान्य) : अजजा-01, प्रबंधक (डिपो) : बेंचमार्क विकलांगताओं से सम्बद्ध व्यक्ति -01 (एलवी), प्रबंधक (लेखा) : अजजा-03, अपिव-04, बेंचमार्क विकलांगताओं से सम्बद्ध व्यक्ति -01 (एचएच), प्रबंधक (टेक्निकल) : बेंचमार्क विकलांगताओं से सम्बद्ध व्यक्ति -01 (ओए, सीपी, एलसी, डी, एएवी, एमडी)

उत्तर-पूर्व जोन

पद	पद कोड	वेतनमान (आईडीए पैटर्न) रु. में	01.08.2019 को अधिकतम आयु सीमा	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस *	अना	कुल	शारीरिक विकलांग				कुल
										ए	बी	सी	डी और ई	
प्रबंधक (सामान्य)	ए	40000-140000/-	28 वर्ष	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
प्रबंधक (डिपो)	बी	40000-140000/-	28 वर्ष	2	1	5	1	2	11	1 (एलवी)	1 (एचएच)	0	1 ई (ए,बी,सी)	3
प्रबंधक (लेखा)	डी	40000-140000/-	28 वर्ष	0	1	1	2	3	7	0	1 (एचएच)	1 (ओए, ओ- एल, बीएल, ओएएल, बी- एलओए, सीपी एलसी, डी, ए- एवी, एमडी)	0	2
प्रबंधक (टेक्निकल)	ई	40000-140000/-	28 वर्ष	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0
प्रबंधक (सिविल इंजीनियरिंग)	एफ	40000-140000/-	28 वर्ष	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
कुल				3	2	7	5	9	26	1	2	1	1	5

उपरोक्त रिक्तियों में बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं :

प्रबंधक(लेखा) : अजजा-01, अपिव-01, प्रबंधक (डिपो) : अजा-02, अपिव-03

\* ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अनुमानित हैं. ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण भारत सरकार के आगे आने वाले निर्देशों और किसी मुकदमे के परिणाम के अधीन है. इस बारे में नियुक्ति अस्थायी आधार पर की जाएगी, जो उचित माध्यम से आय और संपत्ति प्रमाणपत्र की जांच के अधीन होगी और यदि यह पाया गया कि ईडब्ल्यूएस संबंधी दावा असत्य/जाली है, तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएंगी और जाली/असत्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है. आय और संपत्ति प्रमाणपत्र ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने के उम्मीदवार के दावे के संदर्भ में स्वीकार किया जाने वाला एकमात्र साक्ष्य होगा. यह प्रमाणपत्र अनुलग्नक-ग में दिए गए निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी (अनुलग्नक 'ग' में वर्णित के अनुसार) द्वारा जारी किया जाना चाहिए.

नोट :-

- एफसीआई की प्रशासनिक अनिवार्यताओं के अनुसार रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है.
- अना-अनारक्षित, अजा-अनुसूचित जाति, अजजा-अनुसूचित जनजाति, अपिव-अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पीडब्ल्यूबीडी-बेंचमार्क विकलांगताओं से सम्बद्ध व्यक्ति.
- पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के लिए समानांतर आरक्षण दिया जाएगा.
- “विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, 2016)” के अनुसार 40 प्रतिशत और उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति नीचे तालिका में दिए गए ब्यौरे के अनुसार बेंचमार्क विकलांगताओं से सम्बद्ध व्यक्तियों के लिए निर्धारित किए गए पदों हेतु आवेदन के पात्र हैं :

क्र. सं.	बेंचमार्क विकलांगताओं से संबद्ध व्यक्ति	विवरण	आरक्षण का प्रतिशत
1.	ए	दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि	1 प्रतिशत
2.	बी	बधिर और ऊंचा सुनने वाले	1 प्रतिशत
3.	सी	सेरेब्रल पल्सी, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, ऐसिड हमला पीड़ित और मांसपेशीय विकृति सहित गति विषयक विकलांगता	1 प्रतिशत
4.	डी	ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट शिक्षण संबंधी विकलांगता और मानसिक बीमारी;	1 प्रतिशत
5.	ई	खंड (ए) से (डी) के अंतर्गत बधिर-दृष्टिहीन सहित बहु-विकलांगताओं से सम्बद्ध व्यक्ति प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचान किए गए पदों हेतु	

5. बेंचमार्क विकलांगताओं से सम्बद्ध व्यक्तियों के लिए पहचान किए गए पद (पीडब्ल्यूबीडी) :-

क्र. सं.	पहचान किए गए पद	शारीरिक आवश्यकताएं	ए	बी	सी	डी	ई
श्रेणी-2							
1.	प्रबंधक (सामान्य प्रशासन)	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एच, आरडब्ल्यू, सी	ए (बी, एलवी)	बी (एचएच)	सी (ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएल, ओए सीपी, एलसी, डी, एएवी, एमडी)	डी (ए, आईडी, एसएलडी, एमआई)	ई (ए, बी, सी, डी)
2.	प्रबंधक (डिपो)	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एच, आरडब्ल्यू, सीएल	ए (एलवी)	बी (एचएच)	सी (ओए, ओएल, सीपी, एलसी, डी, एएवी, एमडी)	--	ई (ए, बी, सी)
3.	प्रबंधक (टेक्निकल)	एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, एम-एफ, एसई, आरडब्ल्यू, एच, सी	--	बी (एचएच)	सी (ओए, सीपी, एलसी, डी, एएवी, एमडी)	--	ई (बी, सी)
4.	प्रबंधक (लेखा)	एस, एसटी, एमएफ, एसई, आरडब्ल्यू, सी	--	बी (एचएच)	सी (ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डी, एएवी, एमडी)	--	ई (बी, सी)
5.	प्रबंधक (मूवमेंट)	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एच, आरडब्ल्यू, सी	ए (बी, एलवी)	बी (एचएच)	सी (ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डी, एएवी, एमडी)	--	ई (ए, बी, सी)
6.	प्रबंधक (सिविल इंजीनियरिंग)	एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, एमएफ, एसई, आरडब्ल्यू, एच, सी	--	बी (एचएच)	सी (ओए, ओएल, सीपी, एलसी, डी, एएवी, एमडी)	--	ई (बी, सी)
7.	प्रबंधक (इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग)	एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, केसी, एमएफ, एसई, आरडब्ल्यू, एच, सी	--	बी (एचएच)	सी (ओए, ओएल, सीपी, एलसी, डी, एएवी, एमडी)	--	ई (बी, सी)
8.	प्रबंधक (हिंदी)	एसटी, एमएफ, आर-डब्ल्यू, एच, सी	ए (बी, एलवी)	बी (एचएच)	सी (ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, बीएलओए, सीपी, एलसी, डी, एएवी, एमडी)	डी (ए, आईडी, एसएलडी, एमआई)	ई (ए, बी, सी, डी)

**6. बहुसंख्य विकलांगताएं :**

बहुसंख्य विकलांगताओं से प्रभावित उम्मीदवार श्रेणी (ई) अर्थात् आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, 2016 की धारा 34 (1) में वर्णित बहुसंख्य विकलांगताओं के अंतर्गत आरक्षण के पात्र होंगे और वे अन्य श्रेणी की विकलांगताओं अर्थात् आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, 2016 की धारा 34 (1) की श्रेणी (ए) से (डी) तक विकलांगता श्रेणियों में से किसी श्रेणी में 40 प्रतिशत और उससे अधिक विकलांगता के अंतर्गत आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। परंतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल खंड 'सी' में गति विषयक विकलांगताओं जैसे ओए, ओएल, बीएल, बीए की विकलांगताओं के समीकरण में आरक्षण की अनुमति होगी जैसा कि उपरोक्त तालिका में बिंदु 5 पर ओएएल, बीएलओए आदि संयुक्त विकलांगताएं वर्णित की गई हैं।

**बहुसंख्य विकलांगताओं का अर्थ है नीचे वर्णित दो या अधिक विकलांगताओं का समीकरण :**

1. दृष्टिहीनता
2. अल्प दृष्टि
3. कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्ति
4. श्रवण बाधित (बधिर और ऊंचा सुनने वाले)
5. गति विषयक विकलांगता
6. बौनापन
7. बौद्धिक विकलांगता
8. मानसिक विकलांगता
9. ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकृति
10. सेरेब्रलपल्सी
11. मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी
12. विशिष्ट शिक्षण संबंधी विकलांगताएं
13. एसिड हमला पीड़ित

**अतः खंड 'ई' के अंतर्गत कवर होने वाली बहुसंख्य विकलांगताओं के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं :**

1. दृष्टिहीन और श्रवण बाधित
2. गतिविषयक विकलांगता (ओए, ओएल, बीए, बीएल, ओएएल, बीएलओए, बीएलएलए) + सेरेब्रल पल्सी
3. मानसिक विकलांगता + मांसपेशीय दुर्बिकार
4. ऑटिज़्म + एसिड हमला पीड़ित
5. दृष्टिहीन + विशिष्ट शिक्षण विकलांगता
6. दृष्टिहीन + कुष्ठ रोग उपचारित
7. बौना + एसिड हमला पीड़ित
8. एक हाथ + बौना
9. दोनों पैर एक हाथ + एसिड हमला पीड़ित

**7. प्रयुक्त संकेताक्षर:**

एस-सिटिंग, एसटी-स्टैंडिंग, डब्ल्यू-वॉकिंग, बीएन-बैंडिंग, एल-लिफ्टिंग, पीपी-पुलिंग एंड पुशिंग, एसई-सीइंग, सी-कम्युनिकेटिंग, एमएफ- मेनिपुलेंटिंग विद फिंगर, एच-हियरिंग, आरडब्ल्यू-रीडिंग एंड राइटिंग, केसी-नीलिंग एंड क्राउचिंग, ओए-एक हाथ, ओएल-एक पैर, बीए-दोनों हाथ, बीएल-दोनों पैर, ओएएल-एक हाथ और एक पैर, बीएलओए-दोनों पैर और एक हाथ, बीएलए-दोनों पैर और दोनों हाथ, बी-ब्लाइंड, एलवी-अल्प दृष्टि, एचएच-श्रवण बाधित/ऊंचा सुनने वाला, सीपी-सेरेब्रल पल्सी, एलसी-कुष्ठ रोग उपचारित, डी-बौना, एएवी-एसिड हमला पीड़ित, एमडी- मांसपेशीय दुर्बिकार, ए-ऑटिज़्म, आईडी-बौद्धिक विकलांगता, एसएलडी-विशिष्ट शिक्षण विकलांगता, एमआई-मानसिक विकलांगता

**01.08.2019 को योग्यता/अनुभव**

पद का नाम	पद कोड	योग्यता/अनुभव
प्रबंधक (सामान्य)	ए	क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या समकक्ष योग्यता, न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो; <b>अथवा</b> ख) सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस <b>नोट :</b> अजा/अजजा/शावि उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत 60 प्रतिशत की बजाए 55 प्रतिशत होंगे।
प्रबंधक (डिपो)	बी	क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या समकक्ष योग्यता, न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो; <b>अथवा</b> ख) सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस <b>नोट :</b> अजा/अजजा/शावि उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत 60 प्रतिशत की बजाए 55 प्रतिशत होंगे।
प्रबंधक (मूवमेंट)	सी	क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या समकक्ष योग्यता, न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो; <b>अथवा</b> ख) सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस <b>नोट :</b> अजा/अजजा/शावि उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत 60 प्रतिशत की बजाए 55 प्रतिशत होंगे।
प्रबंधक (लेखा)	डी	i) निम्नांकित में से किसी एक असोसिएट सदस्यता प्राप्त की हो : क) द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया; <b>अथवा</b> ख) द इंस्टिट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया; <b>अथवा</b> ग) द इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया; <b>अथवा</b> ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.कॉम और क) स्नातकोत्तर पूर्ण कालिक एमबीए (फाइनेंस) डिग्री/न्यूनतम 2 वर्ष का डिप्लोमा, जो यूजीसी/एआईसीटीई से मान्यताप्राप्त हो; <b>अथवा</b> ख) स्नातकोत्तर अंशकालिक एमबीए (फाइनेंस) डिग्री/न्यूनतम 3 वर्ष का डिप्लोमा (दूरस्थ शिक्षा माध्यम से उत्तीर्ण न किया हो), जो यूजीसी/एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त हो; <b>अथवा</b> ग) स्नातकोत्तर एमबीए (फाइनेंस) डिग्री/दूरस्थ शिक्षा माध्यम से डिप्लोमा, जो यूजीसी/एआईसीटीई-डीईसी संयुक्त समिति द्वारा मान्यताप्राप्त हो।
प्रबंधक (तकनीकी)	ई	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में बी.एससी <b>अथवा</b> मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/एआईसीटीई से अनुमोदित संस्थान द्वारा खाद्य विज्ञान में बी.टेक डिग्री या बीई डिग्री; <b>अथवा</b> मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/एआईसीटीई से अनुमोदित संस्थान से खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी या खाद्य प्रौद्योगिकी या खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी या खाद्य प्रसंस्करण इंजीनियरिंग या खाद्य प्रसंस्करण अथवा खाद्य परिरक्षण प्रौद्योगिकी में बी.टेक डिग्री या बीई डिग्री; <b>अथवा</b> मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/एआईसीटीई से अनुमोदित संस्थान से कृषि इंजीनियरिंग में बी.टेक डिग्री या बी.ई डिग्री खाद्य विज्ञान में बी.टेक डिग्री या बीई डिग्री; <b>अथवा</b> मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/एआईसीटीई से अनुमोदित संस्थान से बायो टेक्नोलॉजी

पद का नाम	पद कोड	योग्यता/अनुभव
		या औद्योगिक बायो-टेक्नोलॉजी या बायो-कैमिकल इंजीनियरिंग या कृषि बायो-टेक्नोलॉजी में बी.टेक डिग्री या बी.ई डिग्री;
प्रबंधक (सिविल इंजीनियरिंग)	एफ	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री. <b>अथवा</b> समकक्ष.
प्रबंधक (इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग)	जी	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की हो. <b>अथवा</b> समकक्ष.
प्रबंधक (हिंदी)	एच	<b>अनिवार्य :</b> i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय रहा हो; <b>अथवा</b> मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ डिग्री स्तर पर हिंदी एक विषय रहा हो; <b>अथवा</b> मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी विषय रहे हों; <b>अथवा</b> मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण की हो और डिग्री स्तर पर हिंदी एक विषय रहा हो; <b>अथवा</b> मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की हो और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय रहा हो; ii) हिंदी में शब्दावली निर्माण कार्य और/अथवा अंग्रेजी से हिंदी या इसके विपरीत अनुवाद कार्य, जिसमें तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद को वरीयता दी जाएगी, में 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो; <b>अथवा</b> हिंदी में 5 वर्ष का शिक्षण/अनुसंधान लेखन या पत्रकारिता का अनुभव रहा हो; <b>वांछनीय :-</b> (i) संस्कृत अथवा आधुनिक भारतीय भाषा की जानकारी; (ii) प्रशासनिक अनुभव; (iii) टिप्पण और प्रारूपण के लिए हिंदी कक्षाएं या कार्यशालाएं आयोजित करने का अनुभव रहा हो.

**नोट :**

- (i) उम्मीदवार रिक्तियों के अनुसार केवल एक अंचल के लिए आवेदन कर सकता/सकती है. अर्थात् उत्तरी अंचल या दक्षिणी अंचल या पूर्वी अंचल या पश्चिमी अंचल या उत्तर-पूर्वी अंचल.
- (ii) उम्मीदवार अपनाए गए अंचल में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच में से केवल एक पद कोड के लिए आवेदन कर सकता है.
- (iii) यदि कोई उम्मीदवार, जहां कहीं लागू हो, परीक्षा के नोटिस की अपेक्षा के अनुसार किसी खास योग्यता को समकक्ष योग्यता समझे जाने का दावा करता है, तो उसे दस्तावेज जांच के समय और एफसीआई द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर समकक्ष शैक्षिक योग्यताओं के संदर्भ में आदेश/पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उस प्राधिकरण (संख्या और तारीख सहित) का नाम लिखा हो, जिसके तहत उसे अनिवार्य योग्यताओं में समकक्ष खंड के संदर्भ में समकक्ष घोषित किया गया हो. इस बारे में एफसीआई का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.
- (iv) उम्मीदवार को स्नातक योग्यता में प्राप्तांक प्रतिशत की गणना दशमलव के निकटतम दो स्थानों तक करनी होगी और उसका उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में करना होगा. जहां सीजीपीए/ओजीपीए/ग्रेड प्रदान किए जाते हैं, वहां पर उन्हें प्रतिशत में परिवर्तित किया जाना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन में उसका उल्लेख होना चाहिए. परवर्ती चरणों में मांगे जाने पर उम्मीदवार को समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा विश्वविद्यालय के उन मानदंड का उल्लेख किया गया हो, जिसके आधार पर सीजीपीए/ओजीपीए/ग्रेड को प्रतिशत में रूपांतरित किया गया है और उन मानदंडों के संदर्भ में उम्मीदवार द्वारा प्राप्तांक प्रतिशत का उल्लेख किया जाना चाहिए.
- (v) आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा. आवेदन की प्रिंट/हार्ड कॉपी पर विचार नहीं किया जाएगा.
- (vi) जहां कहीं आवश्यक हो, अपेक्षित अनुभव आवेदित पद के लिए न्यूनतम अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के बाद का होना चाहिए.

**आरक्षण और रियायतें :**

1. निगम की सेवाओं में नियुक्तियों के संदर्भ में आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को प्रदान की जाएंगी.
2. निर्धारित योग्यताएं, अनुभव और आयु सीमा आदि की गणना 01.08.2019 को आधार मान कर की जाएगी.
3. अजा/अजजा और अपिव श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु में अधिकतम छूट क्रमशः 05 और 03 वर्ष दी जाएगी.
4. विभागीय (एफसीआई) कर्मचारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी.
5. विभिन्न संवर्गों में प्रबंधक के पद के लिए स्नातक उपाधि अर्थात् शैक्षिक योग्यता में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत की शर्त में ऐसे विभागीय (एफसीआई) उम्मीदवारों को रियायत दी जाएगी, जिन्होंने एफसीआई में श्रेणी-3 अथवा श्रेणी-4 के अंतर्गत 3 (तीन) वर्ष का कार्यानुभव प्राप्त किया हो.
6. ऊपरी आयु सीमा में पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के मामले में 10 वर्ष, अजा/अजजा श्रेणी से संबंधित विकलांगजनों को 15 वर्ष और अपिव से संबंधित पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को 13 वर्ष की छूट दी जाएगी. आयु सीमा में छूट के लिए यह जरूरी नहीं होगा कि पद पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षित हो, परंतु, ऐसे पद की पहचान पीडब्ल्यूबीडी के लिए उपयुक्त के रूप में अवश्य की गई हो.
7. पीडब्ल्यूबीडी ऊपर वर्णित ऐसे किसी भी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो भले ही उनके लिए आरक्षित न हो, परंतु, उस पद की पहचान पीडब्ल्यूबीडी के लिए उपयुक्त के रूप में अवश्य की गई हो. परंतु, ऐसे उम्मीदवारों का चयन योग्यता के सामान्य मानदंड के आधार पर किया जाएगा.
8. उपरोक्त आरक्षण और रियायतें क्रोमीलेयर के अंतर्गत आने वाले अपिव उम्मीदवारों को प्रदान नहीं की जाएंगी.
9. इसके अलावा अपिव उम्मीदवारों को आरक्षण और रियायतें भारत सरकार द्वारा नियुक्तियों या पदों में पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए आरक्षण के प्रयोजन से तैयार की गई केंद्र सरकार की सूची में वर्णित अपिव उम्मीदवारों को प्रदान की जाएंगी. आरक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाना चाहिए. प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का निर्धारित प्रारूप अनुलग्नक 'ख' के अनुसार होना चाहिए.
10. 01.01.1980 से 31.12.1989 की अवधि में जम्मू कश्मीर राज्य में सामान्य रूप से अधिवासित आवेदकों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी. इस श्रेणी के अंतर्गत आयु में रियायत के इच्छुक किसी भी आवेदक को उस जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह सामान्य रूप से अधिवासित रहा/रही हो अथवा इस बारे में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि आवेदक 01.01.1980 से 31.12.1989 की

अवधि में जम्मू कश्मीर राज्य में सामान्य रूप से अधिवासित रहा/रही। यह रियायत 31 दिसंबर, 2019 तक प्रभावी रहेगी और इसके बाद इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

11. आपात कमीशंड अधिकारियों (ईसीओज) सहित ऐसे भूतपूर्व सैनिकों और कमीशंड अधिकारियों या अल्पावधि सेवा कमीशंड अधिकारियों (एसएससीओज) को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने 01 अगस्त 2019 को 5 वर्ष की न्यूनतम सैन्य सेवा अदा की हो और जो निम्नांकित अनुसार सेना से विमुक्त किए गए हैं :

(i) निर्दिष्ट अवधि पूरी होने पर (इसमें वे भी शामिल होंगे, जिनकी निर्दिष्ट सैन्य अवधि 01 अगस्त 2019 से एक वर्ष के भीतर पूरी होने जा रही हो), परंतु, दुराचरण या अक्षमता के कारण बर्खास्त या डिस्चार्ज न किया गया हो; अथवा

(ii) सैन्य सेवा के कारण शारीरिक अक्षमता के आधार पर अथवा सैन्य प्रतिष्ठान बंद होने के कारण विमुक्त किया गया हो।

**स्क्राइब का इस्तेमाल करने के इच्छुक पीडब्ल्यूबीडी के लिए दिशा-निर्देश :**

क) भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) अधिकारिता विभाग द्वारा बेंचमार्क विकलांगताओं से सम्बद्ध व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा के संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों से सम्बद्ध कार्यालय ज्ञापन संख्या 34-02/2015-डीडी-III दिनांक 29 अगस्त, 2018, के अनुसार स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक के लिए पात्र पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को स्वयं के लिए स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक रखने अथवा इस प्रयोजन के लिए परीक्षा निकाय से अनुरोध करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा।

ख) इसके अतिरिक्त उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के भाग-4 के अनुसार स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सुविधा केवल दृष्टिहीन, गति विषयक विकलांगता (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) की श्रेणी में आने वाली बेंचमार्क विकलांगताओं और सेरेब्रल पल्सी से प्रभावित उम्मीदवारों को दी जाएगी, बशर्ते, सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा इसकी इच्छा जाहिर की गई हो।

ग) बेंचमार्क विकलांगताओं से सम्बद्ध अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए, स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक का प्रावधान इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा कि सम्बद्ध व्यक्ति की लिखने संबंधी और की-बोर्ड का इस्तेमाल करने संबंधी शारीरिक बाधाएं हैं, और परीक्षा में उसकी ओर से लिखने तथा की-बोर्ड का इस्तेमाल करने के लिए स्क्राइब की सुविधा अनिवार्य है। यह प्रमाणपत्र सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-ई) में जारी किया जाना चाहिए।

घ) एफसीआई में पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त के रूप में पहचान किए गए पदों का ब्यौरा विज्ञापन की तालिका में दिया गया है। वास्तव में स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सुविधा केवल तभी दी जा सकती है, जबकि सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा नीचे दिए गए निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया हो।

ड) स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की व्यवस्था स्वयं करने का विकल्प अपनाने वाले उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि स्क्राइब की योग्यता परीक्षा के अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्टेप नीचे होनी चाहिए।

च) यदि बाद में यह पाया गया कि स्क्राइब की योग्यता परीक्षा के अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्टेप नीचे नहीं थी, तो ऐसे में आवेदक की उम्मीदवारी सिरे से खारिज कर दी जाएगी।

छ) तदनुसृत उपरोक्त परीक्षा में बैठने वाले और स्क्राइब के लिए पात्र (उपरोक्त पैरा 'ख' और 'ग' के अनुरूप) पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अगर उन्हें एफसीआई से स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता हो, तो उन्हें इस बात का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन करते समय अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे उम्मीदवार उस राज्य में स्थित एफसीआई क्षेत्रीय कार्यालय जा सकते हैं, जिसमें परीक्षा केंद्र स्थित हो। वे परीक्षा की तारीख से दो दिन पहले कार्यालय में जाकर इस बात की जांच कर सकते हैं कि उन्हें दिया गया स्क्राइब उपयुक्त है अथवा नहीं। एफसीआई क्षेत्रीय कार्यालयों के पते और ईमेल आईडी एफसीआई वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिसका पता है <http://fci.gov.in/contactUs.php>

ज) उपरोक्त परीक्षा में स्वयं का स्क्राइब इस्तेमाल करने वाले पात्र पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन परीक्षा स्थल पर 'स्क्राइब घोषणा प्रपत्र' (अनुलग्नक-च) प्रस्तुत करना होगा।

झ) स्क्राइब के लिए पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें उपरोक्त पैरा-घ में वर्णित अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

ञ) कृपया नोट करें कि ऑनलाइन आवेदन करते समय जो उम्मीदवार एफसीआई से स्क्राइब सहायता के लिए अनुरोध नहीं करेंगे, तो यह समझा जाएगा कि उन्हें एफसीआई से स्क्राइब की आवश्यकता नहीं है और वे इसकी व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं।

ट) स्क्राइब की सहायता और प्रतिपूरक समय लेने वाले पीडब्ल्यूबीडी को ऊपर वर्णित अपेक्षित प्रमाणपत्र दस्तावेज जांच/ऑनलाइन परीक्षा स्थल (जो भी लागू हो), पर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

ये दिशा-निर्देश समय-समय पर जारी भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/स्पष्टीकरणों, यदि कोई हों, के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।

**चयन प्रक्रिया :-**

**प्रबंधक (सामान्य/डिपो/मूवमेंट/अकाउंट्स/टेक्निकल/सिविल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग) :-** के लिए चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, इंटरव्यू और ट्रेनिंग शामिल होगी।

**प्रबंधक (हिंदी) :-** के लिए चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार शामिल हैं।

**क) ऑनलाइन परीक्षा का पैटर्न**

ऑनलाइन परीक्षा में चरण-1 और चरण-2 की परीक्षाएं शामिल होंगी।

i) चरण-1 की ऑनलाइन परीक्षा सभी पदों के लिए एकसमान होगी। चरण-1 की ऑनलाइन परीक्षा की संरचना निम्नांकित प्रकार से होगी :

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि (मिनट)	परीक्षा का माध्यम
1	अंग्रेजी भाषा	30	30	20 मिनट	अंग्रेजी
2	तर्क योग्यता	35	35	20 मिनट	द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी)
3	संख्यात्मक योग्यता	35	35	20 मिनट	द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी)
		100	100	60 मिनट	

**नोट :** ऑनलाइन परीक्षा के चरण-1 में परीक्षा का स्वरूप वस्तुनिष्ठ (बहु-विकल्प प्रश्न) होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए समान रूप से 01 (एक) अंक दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक दिया जाएगा, जो सम्बद्ध प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का एक चौथाई (1/4) होगा। यदि कोई प्रश्न अनुत्तरित या खाली छोड़ दिया जाता है, तो उसके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। चरण-1 में प्राप्त अंकों को अंतिम योग्यता क्रम में शामिल नहीं किया जाएगा।

ii) चरण-2 ऑनलाइन परीक्षा में निम्नांकित शामिल होंगे :-

प्रश्नपत्रों की संख्या	पद कोड	पद	टिप्पणी
एक प्रश्नपत्र परीक्षा	केवल एक प्रश्नपत्र	ए	प्रबंधक (सामान्य)
		बी	प्रबंधक (डिपो)
		सी	प्रबंधक (मूवमेंट)
दो प्रश्नपत्र परीक्षा	प्रश्नपत्र-1 और प्रश्नपत्र-2	डी	प्रबंधक (लेखा)
		ई	प्रबंधक (तकनीकी)
		एफ	प्रबंधक (सिविल इंजीनियरिंग)
		जी	प्रबंधक (इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग)
प्रश्नपत्र-3 और प्रश्नपत्र-4	एच	प्रबंधक (हिंदी)	पद कोड एच के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्रश्नपत्र-3 में बैठना होगा, जिसके बाद प्रश्नपत्र-4 आयोजित किया जाएगा। प्रश्नपत्र-3 और प्रश्नपत्र-4 के लिए ऑनलाइन परीक्षा एकल सत्र में आयोजित की जाएगी।
<b>नोट-1 :</b> प्रश्नपत्र-1 पद कोड ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी के लिए एकसमान होगा।			
<b>नोट-2 :</b> प्रश्नपत्र-1 और प्रश्नपत्र-2 तथा प्रश्नपत्र-3 और प्रश्नपत्र-4 के लिए ऑनलाइन परीक्षा एकल सत्र में आयोजित की जाएगी।			

प्रश्नपत्र का प्रकार	प्रश्नों की संख्या और अंक	अवधि	नकारात्मक अंक
प्रश्नपत्र-1	बहुविकल्प प्रकार के 120 प्रश्न शामिल होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए समान रूप से 01 अंक होगा। प्रश्नपत्र में अधिकतम 120 अंक होंगे	90 मिनट	परीक्षा के चरण-2 में कोई नकारात्मक अंक नहीं दिया जाएगा।
पद विषयक प्रश्न पत्र-2 (चरण-2 में)	बहुविकल्प प्रकार के 60 प्रश्न शामिल होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए समान रूप से 02 अंक होंगे। प्रश्नपत्र में अधिकतम 120 अंक होंगे	60 मिनट	
प्रश्नपत्र-3 (केवल प्रबंधक (हिंदी) के पद के लिए पद कोड-एच)	बहुविकल्प प्रकार के 120 प्रश्न शामिल होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए समान रूप से 01 अंक होगा प्रश्नपत्र में अधिकतम 120 अंक होंगे	90 मिनट	
प्रश्नपत्र-4 केवल प्रबंधक (हिंदी) के पद के लिए पद कोड-एच)	(i) हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद के लिए 01 अनुच्छेद दिया जाएगा। (ii) अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के लिए 01 अनुच्छेद दिया जाएगा। (iii) हिंदी में 01 निबंध। (iv) अंग्रेजी में 01 सार संक्षेपण। प्रत्येक प्रश्न के 30 अंक होंगे और प्रश्नपत्र में कुल 120 अंक होंगे।	90 मिनट	

**ऑनलाइन परीक्षा में प्रश्नपत्र-1 और प्रश्नपत्र-2 का पैटर्न निम्नांकित अनुसार होगा:**

**प्रश्नपत्र-1 (अवधि - 90 मिनट) (120 अंक) :**

प्रबंधक (सामान्य/डिपो/मूवमेंट/अकाउंट्स/टेक्निकल/सिविल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग) के पद के लिए सामान्य अभिरुचि के 120 बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें तर्क योग्यता, आंकड़ा विश्लेषण, कम्प्यूटर की जानकारी, सामान्य जागरूकता, प्रबंधन और सम-सामयिक घटनाक्रम संबंधी प्रश्न शामिल होंगे।

**प्रश्नपत्र-2 (अवधि - 60 मिनट) (120 अंक) :**

i) प्रबंधक (लेखा) के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों हेतु सामान्य लेखा विधि और वित्त के बारे में 60 बहुविकल्प प्रश्न

**अथवा**

ii) प्रबंधक (टेक्निकल) के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों हेतु कृषि, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी के बारे में 60 बहुविकल्प प्रश्न

**अथवा**

iii) प्रबंधक (सिविल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग) के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों हेतु सिविल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में 60 बहुविकल्प प्रश्न।

**सम्बद्ध विषयों की पद विषयक तकनीकी जानकारी का मूल्यांकन करने के लिए प्रश्नपत्र-2 का सिलेबस**

**I. प्रबंधक (लेखा) (पद कोड डी) :**

- लेखा बही और लेखांकन मानक तैयार करने सहित बुनियादी लेखांकन धारणा
- वित्तीय प्रबंधन :** (क) वित्तीय विवरण का विश्लेषण (ख) बजटिंग और बजटीय नियंत्रण, (ग) कार्यशील पूंजी प्रबंधन, (घ) पूंजी बजटिंग और अनुपात विश्लेषण
- कराधान :** (क) रिटर्न भरने सहित आयकर, टीडीएस, अग्रिम कर आदि (ख) माल एवं सेवा कर (जीएसटी)
- लेखा परीक्षा :** (क) लेखा परीक्षा धारणाएं और पद्धतियां (ख) कंपनियों की विभागीय और बाहरी लेखा परीक्षा
- वाणिज्यिक कानून :** (क) अनुबंध अधिनियम, (ख) कंपनी अधिनियम, (ग) वस्तुओं की बिक्री अधिनियम, (घ) निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, (ङ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, (च) आरटीआई अधिनियम।
- कम्प्यूटर की बुनियादी जानकारी :** (क) ऑपरेटिंग सिस्टम (ख) ब्राउजर्स, (ग) इमेल, (घ) मेमोरी (इंटर्नल, एक्सटर्नल, पोर्टेबल) (ङ) चैट्स (च) आफिस (वर्ड, पावर प्वाइंट, एक्सेल) (छ) नेटवर्क्स

**II. प्रबंधक (तकनीकी) (पद कोड ई) :**

- कृषि-भारतीय कृषि सांख्यिकी (अनाज और दलहन), खाद्य और कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान, पोषण (मवेशी और पादप), अनाज और दलहन की फसल कटाई परवर्ती देखभाल, अनाज संरक्षण, कृषि विस्तार।

- 2) **जैव प्रौद्योगिकी** - सूक्ष्म जीव: लाभदायक और नुकसानदायक, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी संबंधी सिद्धांत, आर्थिक जैव प्रौद्योगिकी, रोगजनक और नियंत्रण, अद्यतन प्रवृत्तियां।
- 3) **कीट विज्ञान** - बुनियादी कीट विज्ञान, आर्थिक कीट विज्ञान, लाभदायक और नुकसानदायक कीट, समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम), अनाज भंडारण कीट, कशेरुकी कीट।
- 4) **रसायन विज्ञान - भौतिक रसायन**: अणुओं की संरचना, कैमिकल बॉन्डिंग, रेडियो एक्टिविटी, इनऑर्गेनिक कैमिस्ट्री, सावधिक तालिका, बुनियादी धातुएं और गैर धातुएं, ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री, अल्कानेस के बुनियादी सिद्धांत, अल्केनेस, अल्कीनेस, अल्कोहल्स, एडहाइड्स और एसिड्स, जैव रसायन (कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा)
- 5) पीएफए एक्ट, 1964, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006/खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011, सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

### III. प्रबंधक (सिविल इंजीनियरिंग) (पद कोड एफ) :

- 1) **इंजीनियरिंग पदार्थ और निर्माण प्रौद्योगिकी**  
निर्माण के लिए स्थल का चयन, भवनों की आयोजना और विन्यास, वेंटिलेशन और एयर कंडिशनिंग, अकाउस्टिक्स, भवन और राजमार्ग निर्माण सामग्री, पत्थर, ईंटें, लकड़ी, चूना, सीमेंट मसाला, प्लेन और प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, तारकोल, अस्फाल्ट।
- 2) **निर्माण सामग्री** : पत्थर, चूना, ग्लास, प्लास्टिक, स्टील, एफआरपी, सिरामिक्स, अल्युमीनियम, फ्लाइंग ऐश, बुनियादी एडमिक्सचर्स, लकड़ी, ईंटें और एग्ग्रेगट्स क्लासिफिकेशन, गुण और चयन मानदंड, सीमेंट आदि।
- 3) **निर्माण पद्धति, आयोजना और प्रबंधन** : निर्माण आयोजना, उपकरण, स्थल अन्वेषण, निविदा प्रक्रिया और संविदा प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादकता, प्रचालन लागत; भूमि अधिग्रहण, श्रमिक सुरक्षा और कल्याण।
- 4) **सर्वेक्षण** : सर्वेक्षण करना, लेवलिंग, स्तरों का अस्थायी और स्थायी समायोजन और सर्वेक्षण उपकरण, सर्वेक्षण उपकरणों का प्रयोग, टेकोमीटरी, ट्रिगोनोमेट्रिक और ट्राइएंगुलेशन सर्वेक्षण. परिरक्षा और रूपरेखा तैयार करना, क्षेत्रों और मात्राओं की गणनाएं।
- 5) **मृदा/भू-तकनीकी इंजीनियरिंग** : मृदा वर्गीकरण, फील्ड पहचान परीक्षण, जल की मात्रा, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, शून्य अनुपात, संरंधता, मृदा पारगम्यता और प्रयोगशाला तथा क्षेत्र में उसका निर्धारण, डार्सी का सिद्धांत, उसकी विशेषताओं का फ्लो नेट तैयार करना, स्थानीय और सामान्य अपरूपण विफलताएं, उथली फाउंडेशन के लिए डिजाइन मानदंड, प्लेट लोड परीक्षण, सामान्य स्लोप की स्थिरता।
- 6) **राजमार्ग और पुल** : सड़क भूमि का वर्गीकरण चौड़ाई, फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स, डब्ल्यूबीएम कोर्सिंग, सब-बेस, रेस, तारकोल बेस कोर्स, कर्ड सीमेंट कंक्रीट बेस/सब-बेस कोर्स, प्राइम और टैक कोट्स, सर्फेस ड्रेसिंग, अस्फैटिक कंक्रीट, सील कोट्स आदि।
- 7) **संरचनागत विश्लेषण** : सामग्री की शक्ति, बेंडिंग मूवमेंट्स और शिअर फोर्स, सुदृढ़ और कमजोर ढांचे का विश्लेषण, सस्पेंडिड केबल्स, कम्प्यूटर की सहायता से बनाए गए डिजाइन की धारणा और इस्तेमाल।
- 8) **स्टील स्ट्रक्चर्स का डिजाइन** : वर्किंग स्ट्रेस पद्धतियों के सिद्धांत, टेंशन और कम्प्रेसन मेम्बर्स का डिजाइन, बीमों और बीम कालम कनेक्शन्स का डिजाइन, बिल्ट-अप सेक्शन्स, गिर्डर्स, इंडस्ट्रियल रूपस, अल्टीमेट लोड डिजाइन के सिद्धांत।
- 9) **कंक्रीट और मैसनेरी ढांचों का डिजाइन** : बेंडिंग, शिअर, एक्सअल कम्प्रेसन और संयुक्त बलों के लिए लिमिट स्टेट डिजाइन; बीमों, स्लैबों, लिन्टल्स, फाउंडेशन्स, रिटनिंग वॉल्स, टैंक्स, सीढ़ियों के डिजाइन।
- 10) **प्राक्कलन, लागत और मूल्यन** : प्राक्कलन, दरों का विश्लेषण, भूमि कार्य, ईंट, आरसीसी वर्क शटरिंग, पेंटिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स, ट्यूबवेल, एकांगी और संयुक्त फुटिंग्स, स्टील स्ट्रस, पाइलेस आदि। मूल्यन - मूल्य और लागत, स्क्रैप वेल्स, सेल्वेज वेल्स, मूल्यांकित मूल्य, सिंकिंग फंड, मूल्य ह्रास और अप्रचलन, मूल्यन की पद्धतियां।

### IV. प्रबंधक (इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग) (पद कोड जी) :

थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर, रेफ्रिजरेशन और एयरकंडिशनिंग, मशीनों का सिद्धांत, मशीन डिजाइन, पदार्थों की ताकत, इंजीनियरिंग पदार्थ, उत्पादन इंजीनियरिंग, औद्योगिक इंजीनियरिंग, उत्पादन आयोजना और नियंत्रण पदार्थ प्रचालन, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, नेटवर्क थ्योरम्स, ईएम थिअरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पदार्थ विज्ञान (इलेक्ट्रिक पदार्थ), इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, कम्प्यूटेशन पावर एपरेट्स के तत्व और प्रणालियां (पावर सिस्टम: विद्युत उत्पादन; थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर और सोलर पावर प्रोडक्शन तथा ट्रांसमिशन), इलेक्ट्रो मैकेनिक्स, कंट्रोल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, प्राक्कलन और लागत, कम्प्यूटरों का इस्तेमाल।

### प्रश्नपत्र-3 और प्रश्नपत्र-4 का पैटर्न इस प्रकार होगा:

#### प्रश्नपत्र-3 (अवधि - 90 मिनट) (120 अंक)

पद कोड 'एच' प्रबंधक (हिंदी) के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धि, कम्प्यूटर की जानकारी, प्रबंधन और सम-सामयिक घटनाक्रम के बारे में 120 बहु-विकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे।

#### प्रश्नपत्र-4 (अवधि 90 मिनट) (120 अंक) (सब्जेक्टिव परीक्षा)

i. 01 अनुच्छेद हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद हेतु (30 अंक)

ii. 01 अनुच्छेद अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद हेतु (30 अंक)

iii. 01 निबंध हिंदी में (30 अंक)

iv. 01 अनुच्छेद लेखन अंग्रेजी में (30 अंक)

प्रश्नपत्र IV प्रबंधक (हिंदी) में शामिल होने हेतु उम्मीदवार को कीबोर्ड के निम्नांकित लेआउट का उपयोग करना आना चाहिए।

1. इस्क्रिप्ट

2. रैमिंगटन (गेल)

टिप्पणी :

i फेज-I ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना अंतिम मेधा सूची के लिए नहीं की जाएगी। फेज-II परीक्षा के लिए विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से 15 गुणा उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा।

ii पद कोड ए, बी एवं सी हेतु ऑनलाइन परीक्षा की मेधा फेज-II के प्रश्न-1 के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

iii पद कोड डी, ई, एफ एवं जी हेतु ऑनलाइन की मेधा फेज-II के प्रश्न-1 एवं पद विशिष्ट प्रश्न- में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मिश्रित अंकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

iv **प्रबंधक (हिंदी) (पद कोड एच)** : प्रबंधक (हिंदी) हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को फेज-II में प्रश्न-III एवं IV की परीक्षा देनी होगी। ऑनलाइन परीक्षा की मेधा प्रश्न-III और प्रश्न-IV दोनों में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मिश्रित अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

v **प्रबंधक (सामान्य/डिपो/क्रिया-कलाप/लेखा/तकनीकी/सिविल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग)** : साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों का चयन अनारक्षित श्रेणियों हेतु फेज-II के ऑनलाइन परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत और अजा, अजजा, अपिव तथा बैंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) हेतु 45 प्रतिशत अंकों के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से सामान्यतया 3 गुणा होगी। तथापि, उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से 3 गुणा से कम होने पर सभी उतीर्ण उम्मीदवारों को आवश्यकतानुसार साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

vi उम्मीदवारों को चयन के लिए विचार की गयी भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में शामिल होना होगा।

vii ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न प्रबंधक (हिंदी) के प्रश्न-IV को छोड़कर केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो विवरणात्मक प्रकार के होंगे।

viii ऑनलाइन परीक्षा भाषा प्रश्नों को छोड़कर दो भाषाओं अंग्रेजी और हिंदी में होंगे।

ix प्रबंधक (सामान्य/डिपो/क्रिया-कलाप/लेखा/तकनीकी/सिविल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल

इंजीनियरिंग) होने पर ऑनलाइन परीक्षा (फेज-II), साक्षात्कार और प्रशिक्षण हेतु नियत अधिभार क्रमशः 80 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 10 प्रतिशत होंगे। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर चयनित उम्मीदवारों पर प्रबंधक के रूप में नियुक्ति के आदेश जारी करने पर विचार किया जा सकता है और ऐसे उम्मीदवारों को नियमानुसार परिवीक्षा आधार पर रखा जाएगा।

x प्रबंधक (हिंदी) होने पर ऑनलाइन परीक्षा (फेज-II) और साक्षात्कार हेतु नियत अधिभार क्रमशः 90 प्रतिशत और 10 प्रतिशत होंगे।

### साक्षात्कार :

i. पद कोड ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एवं एच हेतु ऐसे उम्मीदवार, जिन्हें ऑनलाइन परीक्षा में चयनित किया गया है, उन्हें बाद में भा.खा.नि. द्वारा संचालित साक्षात्कार के लिए विज्ञापित रिक्तियों के 1:3 के अनुपात में बुलाया जाएगा। प्रलेखों के सत्यापन साक्षात्कार के समय पूरे किए जाएंगे। उक्त प्रक्रियाएं चयन केंद्रों पर की जाएगी। साक्षात्कार के स्थान, समय एवं तिथि की सूचना साक्षात्कार के बुलावा पत्र में चयनित उम्मीदवारों को दी जाएगी। उम्मीदवारों को भा.खा.नि. की प्राधिकृत वेबसाइट [www.fci.gov.in](http://www.fci.gov.in) से साक्षात्कार के बुलावा-पत्र डाउनलोड करने होंगे। ध्यान दें कि साक्षात्कार की तिथि, स्थान आदि में परिवर्तन से संबंधित किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, भा.खा.नि. साक्षात्कार की तिथि/स्थान/समय आदि में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। साक्षात्कार के नियत अधिभार 10 प्रतिशत होंगे। उम्मीदवारों के मिश्रित अंतिम अंक ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों पर आधारित होंगे, जिसके विवरण भा.खा.नि. की वेबसाइट पर बाद में उपलब्ध कराए जाएंगे।

ii. ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार में मिश्रित मेधा के आधार पर मेधावी उम्मीदवारों और जिनके प्रलेख सफलतापूर्वक सत्यापित कर लिए गए होंगे और पदों हेतु उनकी पात्रता जांच ली गयी हो, को प्रबंधक हिंदी अथवा सामान्य/डिपो/मूवमेंट/लेखा/टेक्निकल/सिविल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग संवर्ग के लिए प्रबंधन प्रशिक्षु (एमटीज) के रूप में चयनित किया जाएगा।

iii. साक्षात्कार/प्रलेख सत्यापन में शामिल होते समय उम्मीदवार को निर्धारित वैध प्रलेख प्रस्तुत करने होंगे। वैध प्रलेखों के नहीं होने पर उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए प्रलेख सत्यापन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। भा.खा.नि. अलग से भेजे गए किसी प्रमाणपत्र/शुल्क/प्रलेख की प्राप्ति की कोई जवाबदेही नहीं लेगा।

iv. **प्रशिक्षण** : प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण भर्ती प्रक्रिया की एक अंग होगी, जिसके लिए 10 प्रतिशत अधिभार दिए जाएंगे। प्रबंधन प्रशिक्षु (सामान्य/डिपो/क्रिया-कलाप/लेखा/तकनीकी/सिविल इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग) के रूप में चयनित उम्मीदवारों को छह माह के प्रशिक्षण लेने होंगे। उन्हें प्रशिक्षण की अवधि के दौरान रु. 40000/- (चालीस हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह की समेकित वृत्तिका दिए जाएंगे। छह माह के प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने पर उन पर रु. 40000-140000/- के आईडीए वेतनमान में प्रबंधक के रूप में निगम में आमेदन के लिए विचार किया जाएगा।

v. **आवश्यक सूचना/निर्देश** :

1. एक उम्मीदवार केवल एक ही जोन में आवेदन कर सकता है, जैसे या तो उत्तरी जोन से या दक्षिणी जोन या पूर्वी या पश्चिमी या पूर्वोत्तर जोन से।
2. एक उम्मीदवार (जोन के अंदर) पद कोड क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, और झ में से केवल किसी एक पद के लिए ही आवेदन कर सकता है।
3. फिर भी, किसी कारणवश यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने एक से अधिक आवेदन जमा किया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन पुनः नये शुल्क (लागू हो तो) के साथ उच्चतर "पंजीकरण संख्या" सहित और सभी तरीके से पूर्ण हो, तभी भा.खा.नि. द्वारा विचार किया जाएगा और पहले जमा किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। एक "पंजीकरण संख्या" के संदर्भ में भुगतये शुल्क को अन्य किसी "पंजीकरण संख्या" के संदर्भ में समायोजित नहीं किया जाएगा। हालांकि, यह सूचना दी जाती है कि एक से अधिक आवेदन सहित एक बार भुगतान किए जा चुके शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा।
4. पद के लिए आवश्यक योग्यता के आधार पर ही उम्मीदवार की (जोन के अंदर) उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा।
5. उम्मीदवारों को ऊपलिखित पदों के बारे में विवरण <http://fci.gov.in/pageDetail.php?view=333> पर देखने का परामर्श दिया जाता है। डिपो, तकनीकी काडर के तहत पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये फील्ड स्तर के पद हैं और चयनित उम्मीदवारों को भारतीय खाद्य निगम की मंडी/खरीद केंद्र, डिपो और गोदाम में अपनी सेवा देनी होगी।
6. **कॉल लैटर डाउनलोड करना** उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा का कॉल लैटर भारतीय खाद्य निगम की वेबसाइट [www.fci.gov.in](http://www.fci.gov.in) से डाउनलोड करना होगा। कॉल लैटर डाउन लोड करने की सूचना भी ईमेल/एसएमएस से भेजी जाएगी। संबंधित लिंक पर क्लिक करने के बाद कॉल लैटर डाउन लोड करने के विंडो तक पहुंचा जा सकता है। उम्मीदवार को पंजीकरण संख्या/रोल नंबर II पासवर्ड/जन्मतिथि देनी होगी। उम्मीदवार को कॉल लैटर पर अपना नवीनतम फोटो चिपकाना होगा। पंजीकरण के समय दिया गया फोटो लगाना बेहतर है। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर (I) कॉल लैटर (II) फोटो पहचान प्रमाण, जैसा कि नीचे क्लॉज 9 में दिया गया है और कॉल लैटर में स्पष्ट किया गया है, तथा इस मूल फोटो पहचान पत्र की फोटो प्रति भी लानी होगी।
7. ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रवेश पत्रक (एडमिट कार्ड) जिसमें परीक्षा स्थल और समय का उल्लेख होगा, परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले भारतीय खाद्य निगम की वेबसाइट [www.fci.gov.in](http://www.fci.gov.in) से डाउन लोड किया जा सकता है। जिन उम्मीदवारों को ऑनलाइन प्रवेश पत्रक नहीं मिलता है उन्हें अपनी शिकायत परीक्षा के कम से कम एक सप्ताह पहले <http://cgrs.ibps.in> पर दर्ज करानी होगी।
8. **देरी से रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवार** अर्थात् परीक्षा के लिये बुलावा पत्र में निर्धारित समय के बाद रिपोर्ट करने पर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। बुलावा पत्र में वर्णित रिपोर्टिंग समय परीक्षा शुरू होने के समय से पहले का है। यद्यपि परीक्षा की अवधि 01 से 03 घण्टे है, उम्मीदवारों को स्थल पर विभिन्न अपेक्षित दस्तावेजों का सत्यापन और संग्रह, लॉगिंग इन, अनुदेश देना जैसी विभिन्न औपचारिकताएं पूरी करने के लिये अपेक्षित समय सहित 04 घण्टे से अधिक समय तक रुकना पड़ सकता है।
9. **पहचान सत्यापन** : परीक्षा हॉल में और साक्षात्कार के समय, बुलावा पत्र मूल रूप में और उम्मीदवार के वर्तमान में वैध फोटो पहचान पत्र की एक फोटो प्रति (एकदम उसी नाम के उल्लेख वाला जैसा कि बुलावा पत्र में लिखा गया है), जैसे कि पैन कार्ड/पासपोर्ट/स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता पहचानपत्र/फोटोयुक्त बैंक पासबुक/राजपत्रित अधिकारी द्वारा फोटोग्राफ के साथ आधिकारिक लैटरहेड पर जारी किया गया फोटो पहचान पत्र/जन प्रतिनिधि द्वारा आधिकारिक लैटरहेड पर फोटोग्राफ के साथ जारी फोटो पहचान पत्र/ हाल का मान्यताप्राप्त कालेज/ विश्वविद्यालय से जारी वैध पहचान पत्र/आधार कार्ड/फोटोग्राफ के साथ ई-आधार/कर्मचारी पहचान पत्र/बार कार्डसिल का फोटोयुक्त पहचान पत्र पर्यवेक्षक के पास पहचान के लिये प्रस्तुत किया जाना चाहिये। उम्मीदवार की पहचान का सत्यापन बुलावा पत्र में उसके विवरण, उपस्थिति सूची और प्रस्तुत अपेक्षित दस्तावेजों के संबंध में किया जायेगा। यदि उम्मीदवार की पहचान संदिग्ध है तो उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। राशन कार्ड और प्रशिक्षु ड्राइविंग लाइसेंस पहचान के वैध सबूत नहीं हैं।

टिप्पणी: उम्मीदवारों को मूल फोटो पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा और परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये क्रमशः परीक्षा बुलावा पत्र और साक्षात्कार बुलावा पत्र के साथ फोटो पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी, ऐसा न करने पर उन्हें परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। उम्मीदवारों को यह अवश्य नोट कर लेना चाहिये बुलावा पत्र में यथा उल्लिखित नाम (पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध कराया गया) एकदम वही होना चाहिये जैसा कि फोटो पहचान पत्र में है। महिला उम्मीदवार जिन्होंने शादी के बाद अपना प्रथम/अंतिम/मध्य नाम बदल लिया है उन्हें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिये। यदि बुलावा पत्र और फोटो पहचान पत्र में मिलान नहीं होता है तो उम्मीदवार को परीक्षा के लिये उपस्थित होने की अनुमति



नहीं दी जायेगी। उन उम्मीदवारों के मामले में जिन्होंने अपना नाम बदल लिया है, उन्हें केवल तभी अनुमति दी जायेगी यदि वे मूल राजपत्र अधिसूचना/अपना मूल विवाह प्रमाणपत्र/मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे। हालांकि परीक्षा के लिये दी गई अनुमति अनंतिम है और उम्मीदवार के चयन के मामले में बाद के चरण में उम्मीदवारी दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी।

10. विभिन्न चरणों में अल्पसूचीबद्ध उम्मीदवारों के बारे में सूचना भारतीय खाद्य निगम की वेबसाइट पर डाली जायेगी जिसके लिये उम्मीदवारों को वेबसाइट: [www.fci.gov.in](http://www.fci.gov.in) के जरिए संपर्क में रहना चाहिये। उम्मीदवार को चयन के लिये पात्र होने के लिये भर्ती प्रक्रिया के सभी संगत चरणों में उपस्थित होना पड़ेगा। **उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट के संपर्क में रहें।**

11. उम्मीदवार अपनी शिकायतें <http://cgrrs.ibps.in> पर रजिस्टर कर सकते हैं।

**सामान्य सूचना/अनुदेश:**

- कोई भी व्यक्ति आरंभिक नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, यदि उसकी आयु 18 वर्ष पूरी नहीं हुई है।
- राष्ट्रीयता: निगम की सेवा में नियुक्ति के लिये उम्मीदवार:-
  - भारत का नागरिक, **अथवा**
  - नेपाल की प्रजा, **अथवा**
  - भूटान की प्रजा, **अथवा**
  - तिब्बती शरणार्थी हो, जो कि भारत में स्थाई तौर पर बसने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, **अथवा**
  - भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो कि भारत में स्थाई तौर पर बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा और संयुक्त राज्य तन्जानिया (पूर्ववर्ती तंगानयिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जाइरे और इथियोपिया तथा वियतनाम से विस्थापित हुआ है।
 बशर्ते कि उक्त श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार एक ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में **प्रबंध निदेशक** द्वारा पात्रता का प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।
- उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर यह उल्लेख करना चाहिये क्या वह सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अल्पसंख्यक समुदाय नामतः मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन या जोरास्ट्रियन (पारसी) से संबंधित है।
- सभी पद आईडीए पैटर्न के वेतनमान वाले हैं और साथ में मान्य भत्ते जैसे कि मकान किराया भत्ता, अवकाश यात्रा रियायत आदि देय होगा। इन वेतनमानों में मंहगाई भत्ता प्रतिशतता पर आधारित है। सकल परिलब्धियां तैनाती के स्थान के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। सभी नियुक्तियां समय-समय पर लागू निगम के नियमों और विनियमों के अधीन होंगी। अन्य लाभ जैसे कि सीपीएफ, ग्रेच्युटी, अवकाश यात्रा रियायत, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, पेन्शन आदि समय-समय पर यथा संशोधित निगम के नियमों के अनुसार लागू होंगे।
- प्रबंधन प्रशिक्षुओं को छह माह के प्रशिक्षण लेने होंगे। उन्हें प्रशिक्षण की अवधि के दौरान रु. 40000/- (चालीस हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह की दर से समेकित वृत्तिका दी जाएगी। वे नियमानुसार रेल/बस भाड़े लेने के भी पात्र होंगे। प्रशिक्षण के दौरान क्षेत्रीय तथा/अथवा अन्य कार्यालयों में दौरे के लिए दैनिक भत्ता दिया जाएगा। उन्हें ठहरने के लिए अलग से कोई खर्च नहीं दिए जाएंगे। उन पर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद आमेलन के लिए विचार किया जाएगा और रु. 40000-140000/- के नियमित आईडीए वेतनमान में परिवीक्षा पर रखा जाएगा।
- भा.खा.नि. की सेवाओं में प्रबंधक के रूप में आमेलित प्रबंधन प्रशिक्षुओं की वरीयता उस मेधा क्रम द्वारा निर्धारित की जाएगी। जिसमें उन्हें प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद आमेलन के लिए अंतिम रूप से चयनित किया गया होगा। उन्हें उस जोन के अधिकार क्षेत्र में किसी भी राज्य में पदस्थापित किया जाएगा, जिसके संदर्भ में उन्हें चयनित किया गया होगा। आमेलित प्रशिक्षुओं की वरीयता उनकी भर्ती की तिथि से संबंधित संवर्ग के संबंधित जोन में अनुरक्षित किया जाएगा। तथापि, प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण की अवधि की गणना कार्यानुभव के लिए नहीं की जाएगी।
- भारतीय खाद्य निगम की सेवाओं में जोन के भीतर नियुक्त किये गये कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण मैरिट क्रम में किया जायेगा जिसमें उनका नियुक्ति के लिये अंतिम तौर पर चयन किया जाता है। उन्हें उस जोन के अधिकार क्षेत्र में किसी भी राज्य में पदस्थापित किया जाएगा, जिसके संदर्भ में उन्हें चयनित किया गया होगा। कर्मचारियों की वरिष्ठता संबंधित संवर्ग में उनके संबंधित जोनों में अनुरक्षित की जायेगी।
- प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में चयनित उम्मीदवारों को न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि तक निगम की सेवा करने के लिए ज्वाइन करते समय रु. 100000/- (एक लाख रुपये मात्र) के बांड निर्धारित प्रारूप में देने होंगे।
- केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और विभागीय उम्मीदवारों (एफसीआई कर्मचारियों) को नोट कर लेना चाहिये उन्हें अपने आरंभिक दस्तावेज सत्यापन के चयन में अपने नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना होगा।
- उम्मीदवारों को विज्ञापन ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत और पदों के लिये निर्धारित पात्रता शर्तें, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव को पूरा करने की बात को ध्यान में रखते हुए विकल्प को भरना चाहिये। एक बार विकल्प दे दिये जाने पर वह अंतिम माना जायेगा और किसी भी स्थिति में इसमें किसी बदलाव की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- उम्मीदवारों को विज्ञापन में विनिर्दिष्ट को छोड़कर कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अनुमति नहीं दी जायेगी। अतः उन्हें इसे परीक्षा परिसरों/स्थल पर लेकर नहीं आना चाहिये।
- ऑनलाइन परीक्षा में प्रबंधक (हिंदी) के लिये पेपर-IV को छोड़कर, जो कि विषयात्मक होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु विकल्प प्रकार के प्रश्न शामिल किये जायेंगे।
- प्रश्न पत्र में त्रुटियों को परीक्षा के आयोजन के 03 दिनों के भीतर <http://cgrrs.ibps.in> पर नोटिस में लाया जाना चाहिये। इसके बाद प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- आवेदन के चरण में, पात्रता, श्रेणी और अन्य पहलुओं के बारे में जांच ऑनलाइन परीक्षा के लिये बुलावा पत्र जारी होने से पहले नहीं की जायेगी। लेकिन इस तथ्य के अधीन कि उम्मीदवार को बुलावा पत्र जारी कर दिया गया है यह अर्थ नहीं हो जाता है कि उसकी उम्मीदवारी को एफसीआई ने अंतिम तौर पर स्वीकार कर लिया है। एफसीआई के पास किसी भी आवेदन को प्रक्रिया के किसी भी चरण में नामंजूर करने, यदि किसी भी चरण में यह पता चलता है कि उम्मीदवार पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करता है और गलत/झूठी सूचना/ प्रमाणपत्र/ दस्तावेज प्रस्तुत किया है अथवा कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त करने का अधिकार है। यदि ऐसी किसी कमी के बारे में एफसीआई में नियुक्ति के बाद भी पता चलता है तो उसकी सेवाएं सरसरी तौर पर ही नामंजूर कर दी जायेंगी।
- उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है वे अपना वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. रखें, जिसे इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिये क्योंकि इसे भविष्य के पत्राचार के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है। एफसीआई पंजीकृत ई-मेल आईडी के जरिए परीक्षा के लिये बुलावा पत्र आदि डाउनलोड करने के संबंध में सूचना भेज सकता है। यदि उम्मीदवार की कोई वैध ई-मेल आईडी नहीं तो उसे नयी ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सृजित कर लेना चाहिये और इस ई-मेल खाते तथा मोबाइल नंबर को बनाये रखना चाहिये।
- सभी उम्मीदवारों के लिये अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और कोई अन्य यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेज बगैर किसी चूक के अपलोड करना अनिवार्य है।
- अजा/अजजा, अपिव, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, सेवारत रक्षा कार्मिक और भूतपूर्व सैनिकों के लिये प्रमाण-पत्र प्रेषित करने के लिये निर्धारित प्रपत्र क्रमशः **परिशिष्ट क, ख, ग, घ1/घ2/घ3 (संगत पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के लिये यथा लागू), ड और च** पर दिये गये गये हैं। उम्मीदवार नोट कर लें कि ये प्रमाणपत्र/दस्तावेज और अन्य अनिवार्य अनुलग्नक उनके ऑनलाइन परीक्षा/फेज-II के आधार पर अल्पसूचीकरण के मामले में निर्धारित पते पर प्रेषित करना अपेक्षित होगा, जिसके बारे में निर्धारित वेबसाइट के जरिए सूचित/अधिसूचित किया जायेगा। परीक्षा में अपने स्क्राइब का उपयोग करने वाले पात्र पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दिन स्क्राइब घोषणा प्रपत्र (परिशिष्ट-च) जमा करना होगा।

18. उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय चुने गये जोन के भीतर किसी एक परीक्षा केंद्र का चयन करना चाहिये। यह स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवार आवेदनपत्र भरते समय चुने गए जोन के बाहर भी अपनी पसंद के परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं।

18.1 चरण-1 के लिये परीक्षा केंद्रों की राज्य वार सूची निम्नानुसार है:-

राज्य/संघ शासित प्रदेश	केंद्र
अंडमान तथा निकोबार	पोर्टब्लेयर
आंध्र प्रदेश	नेल्लोर, विजयवाड़ा/अमरावती, काकीनाडा, कुरनूल, तिरुपति, विजयानगरम, विशाखापत्तनम
असम	डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिल्चर, तेजपुर
अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागुन
बिहार	भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आरा
चंडीगढ़	चंडीगढ़-मोहाली
छत्तीसगढ़	बिलासपुर, रायपुर, भिलाई नगर
दिल्ली	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम
गोआ	पणजी
गुजरात	अहमदाबाद-गांधीनगर, राजकोट, सूरत, मेहसाणा, वडोदरा
हरियाणा	करनाल, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र,
हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा, शिमला, हमीरपुर
जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू, श्रीनगर, सांबा
झारखंड	धनबाद, रांची, बोकारो इस्पात सिटी, हजारीबाग
कर्नाटक	बंगलुरु, बेलगाम, गुलबर्गा, हुबली-धारवाड़, मंगलोर, मैसूर, शिमोगा
केरल	कोच्चि, कन्नूर, त्रिशूर, तिरुअनंतपुरम, कोझिकोड
मध्य प्रदेश	भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन
महाराष्ट्र	औरंगाबाद (महाराष्ट्र), कोल्हापुर, मुंबई/ठाणे/नवी मुंबई, नागपुर, नासिक, अमरावती, नांदेड़, पुणे
मेघालय	शिलांग
मणिपुर	इम्फाल
मिजोरम	आइजल
नगालैंड	कोहिमा
ओडिशा	भुवनेश्वर, बरहामपुर (गंजम), कटक, राउरकेला, संबलपुर
पुदुच्चेरी	पुदुच्चेरी
पंजाब	अमृतसर, भटिण्डा, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला
राजस्थान	अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर
तमिलनाडु	चेन्नै, कोयम्बतूर, मदुरई, सालेम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेल्ली, वेल्लूर
तेलंगाना	हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल
त्रिपुरा	अगरतला
उत्तर प्रदेश	आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा, झांसी,
उत्तराखंड	देहरादून, हल्द्वानी, रूड़की
पश्चिम बंगाल	आसनसोल, दुर्गापुर, ग्रेटर कोलकाता, हुगली, सिलीगुड़ी

18.2 चरण-II के लिये परीक्षा केंद्रों की राज्य वार सूची निम्नानुसार है:-

राज्य/संघ शासित प्रदेश	केंद्र
आंध्र प्रदेश	अमरावती/विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम
अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागुन
असम	गुवाहाटी
बिहार	पटना
छत्तीसगढ़	रायपुर
चंडीगढ़	चंडीगढ़-मोहाली
दिल्ली	दिल्ली रा.रा.क्षे.
गुजरात	अहमदाबाद-गांधीनगर
हरियाणा	अंबाला
हिमाचल प्रदेश	शिमला
जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू
झारखंड	रांची
कर्नाटक	बंगलुरु
केरल	कोच्चि
मध्य प्रदेश	भोपाल
महाराष्ट्र	मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे
मणिपुर	इंफाल
मेघालय	शिलौंग
नगालैंड	कोहिमा
ओडिशा	भुवनेश्वर
पंजाब	मोहाली
राजस्थान	जयपुर
तमिलनाडु	चेन्नै
तेलंगाना	हैदराबाद
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद, लखनऊ

उत्तराखंड	देहरादून
पश्चिम बंगाल	ग्रेटर कोलकाता

18.3 प्रबंधक (हिंदी) के पद के लिये पेपर-IV, जो कि वर्णानात्मक प्रकृति का होगा, केवल निम्नलिखित शहरों में हिंदी टंकण के लिये आयोजित किया जायेगा :

1. नोएडा
2. मुंबई
3. कोलकाता
4. चेन्नै
5. गुवाहाटी

पेपर-IV हिंदी के लिये उपस्थित हो रहे उम्मीदवार निम्नलिखित की बोर्ड लेआउट्स का प्रयोग करने में योग्य होने चाहिये:-

1. इनस्क्रिप्ट
2. रैमिंगटन (गेल)

18.4 नोट :-

- क. परीक्षा ऑनलाइन संबंधित बुलावा पत्रों में दिये गये स्थानों पर आयोजित की जायेगी।
  - ख. परीक्षा के लिये केंद्र/स्थान/तिथि/सत्र के परिवर्तन के लिये किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा। उम्मीदवार को केंद्रों का चयन ध्यानपूर्वक करना चाहिये और इसे अपने आवेदन में सही प्रकार से इंगित करना चाहिये।
  - ग. भारतीय खाद्य निगम के पास अपने विवेक पर किसी भी परीक्षा केंद्र को निरस्त करने और/अथवा कुछ अन्य केंद्रों को मिलाने का अधिकार सुरक्षित है जो कि प्रत्युत्तर, परीक्षा की संभाव्यता आदि पर निर्भर करेगा।
  - घ. भारतीय खाद्य निगम के पास उम्मीदवार को उसके द्वारा दिये गये विकल्प से अन्य कोई केंद्र आर्बिट्रेट करने का भी अधिकार सुरक्षित है।
  - ङ. उम्मीदवार अपने जोखिम और खर्च पर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के लिये उपस्थित होंगे और एफसीआई किसी भी प्रकार की कोई चोट लगने या हानि आदि होने के लिये जिम्मेदार नहीं होगा।
  - च. उम्मीदवार द्वारा केंद्र का एक बार चयन कर लिये जाने पर उसे अंतिम माना जायेगा।
  - छ. यदि "ऑनलाइन" परीक्षा के लिये किसी केंद्र विशेष के लिये पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार विकल्प नहीं देते हैं तो एफसीआई के पास उन उम्मीदवारों को किसी अन्य नजदीकी केंद्र आर्बिट्रेट करने का अधिकार सुरक्षित है अथवा यदि किसी केंद्र के लिये ऑनलाइन परीक्षा के लिये उपलब्ध क्षमता से अधिक उम्मीदवारों की संख्या हो जाती है तो एफसीआई के पास उम्मीदवार को कोई अन्य केंद्र आर्बिट्रेट करने का अधिकार सुरक्षित है।
19. **बराबरी-मामलों का समाधान:** किसी पद विशेष के लिये बराबरी के मामले में, जिसने लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक हासिल किये हैं उन्हें अन्य उम्मीदवारों से ऊपर रखा जायेगा।
- यदि अब भी बराबरी बनी रहती है तो प्रक्रिया को जन्मतिथि द्वारा अपनाया जायेगा अर्थात् आयु में बड़े उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी। अंत में यदि बराबरी अब भी बनी रहती है तो बराबरी का समाधान नाम के अक्षर क्रमानुसार संदर्भित करते हुए किया जायेगा अर्थात् जिस उम्मीदवार का नाम अक्षर क्रम में पहले आता है उसे वरीयता दी जायेगी। यही मानदंड आशुलिपिक ग्रेड-II (पद कोड-सी), पद कोड ई (टंकक (हिंदी), पद कोड एफ (सहायक ग्रेड- III (सामान्य) और पद कोड आई (सहायक ग्रेड- III) (डिपो) के लिये लागू होगा।
20. मात्र आवेदन प्रस्तुत करने और पात्रता शर्तें पूरी करने से किसी उम्मीदवार को ऑनलाइन परीक्षा आदि में उपस्थित होने के लिये कोई अधिकार नहीं हो जायेगा।
  21. पात्रता मानदंड पूरा किये बगैर किसी पद के लिये ऑनलाइन परीक्षा और कौशल परीक्षा में अल्पसूचीकरण से उम्मीदवार को पद पर अंतिम चयन के लिये कोई दावा नहीं हो जायेगा।
  22. उम्मीदवारों को अतिरिक्त अनुदेशों, यदि एफसीआई द्वारा अधिसूचित किये जाते हैं, का पालन करना चाहिये।
  23. इन रिक्तियों का भरा जाना भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली कोई भी कानूनी मामले के परिणाम के विषयाधीन होगा।
  24. किसी भी चरण में आवेदन के परिणाम के बारे में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा।
  25. एफसीआई के किसी खास जोन में उम्मीदवार का चयन होने पर जोन के कार्याधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी राज्य में तैनात किया जा सकता है। लेकिन उन्हें निगम के हित में देश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। प्रत्येक जोन का कार्याधिकार क्षेत्र निम्नानुसार है:  
**उत्तर जोन:** 1. दिल्ली, 2. हरियाणा, 3. पंजाब, 4. हिमाचल प्रदेश, 5. जम्मू एवं कश्मीर, 6. राजस्थान, 7. उत्तर प्रदेश, 8. उत्तराखंड, 9. चंडीगढ़, 10. लद्दाख  
**दक्षिण जोन :** 1. आंध्र प्रदेश, 2. कर्नाटक, 3. केरल, 4. तमिलनाडु, 5. तेलंगाना, 6. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, 7. लक्षद्वीप 8. पुदुच्चेरी  
**पूर्व जोन :** 1. बिहार, 2. झारखंड, 3. ओड़ीशा, 4. पश्चिम बंगाल, 5. सिक्किम  
**पश्चिम जोन :** 1. महाराष्ट्र, 2. मध्यप्रदेश, 3. छत्तीसगढ़, 4. गुजरात, 5. दमन और दीव, 6. दादरा और नगर हवेली, 7. गोआ  
**उत्तर पूर्व जोन :** 1. अरुणाचल प्रदेश, 2. असम, 3. नगालैंड, 4. मणिपुर, 5. मिजोरम, 6. त्रिपुरा, 7. मेघालय
26. लिखित परीक्षा के लिये कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा, तथापि उम्मीदवार को साक्षात्कार में भाग लेने के लिए रेल/बस टिकट प्रस्तुत करने पर लघुत्तम मार्ग से "आने तथा जाने" के लिए द्वितीय श्रेणी के रेल भाड़े या साधारण बस भाड़े दिए जाएंगे।
27. उम्मीदवारों को अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि वह सभी पात्रता मानदंड जैसे कि अर्हता, अनुभव, आयु आदि 01.08.2019 को पूरा करता है। उम्मीदवार को पद के लिये आवेदन करने से पहले स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिये कि वह अपेक्षित अर्हता, अनुभव और आयु आदि को पूरा करता है।
28. ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार के लिये प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र जारी हो जाने से उम्मीदवारी की स्वीकार्यता का कोई अधिकार नहीं हो जायेगा और उम्मीदवारों को इसे पात्रता मानदंड पूरा करने की पावती नहीं मान लेना चाहिये। दस्तावेज सत्यापन के समय यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उम्मीदवार की है कि उम्मीदवार द्वारा लाये गये दस्तावेज संबंधित पद के लिये अपेक्षानुसार हर तरह से पूर्ण हैं। दस्तावेज आगे सत्यापन के विषयाधीन हैं।
29. जो उम्मीदवार सभी पात्रता मानदंड पूरा करते हैं उन्हें रिक्तियों के अनुसार और मैरिट सूची के अनुसार नियुक्ति पत्र जारी किया जायेगा।
30. आवेदन-पत्र के साथ कोई मूल प्रमाणपत्र/दस्तावेज भेजना अपेक्षित नहीं है, अन्यथा कि इस बारे में कोई अलग से निर्देश दिया गया हो। उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि यदि उन्हें ऑनलाइन परीक्षा/कौशल परीक्षा के आधार पर अल्पसूचीबद्ध कर लिया जाता है, जिसके बारे में उन्हें निर्धारित वेबसाइट ([www.fci.gov.in](http://www.fci.gov.in)) के जरिए सूचित/अधिसूचित किया जायेगा, अपेक्षित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित फोटोस्टेट प्रतियां सत्यापन के लिये निर्धारित स्थान पर प्रेषित करना अपेक्षित है। हालांकि मूल प्रमाणपत्रों की जांच/सत्यापन दस्तावेज सत्यापन चरण के समय की जायेगी।
31. भारतीय खाद्य निगम अपने विवेकानुसार पुनः परीक्षा/साक्षात्कार आयोजित करने अथवा किसी भी चरण में उम्मीदवारों को कोई भी स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
32. किसी भी प्रकार से निगम को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप अयोग्यता हो सकती है और उम्मीदवारी नामंजूर की जा सकती है।
33. लघुसूचीबद्ध उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके चिकित्सा की दृष्टि से फिट पाये जाने और जहां कहीं लागू है प्रमाणपत्रों, चरित्र, पूर्ववृत्त और जाति आदि के सत्यापन के अधीन होगी।
34. परीक्षा के आयोजन और मैरिट सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में निगम का फैसला अंतिम और उम्मीदवारों के लिये बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा।

35. ऐसा कोई व्यक्ति आवेदन करने के लिये पात्र नहीं होगा जिसे पूर्व में बर्खास्त कर दिया गया हो अथवा निगम की सेवा से अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग अथवा केंद्रीय सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम की सेवा से बर्खास्त या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर दिया गया हो।
  36. नियुक्ति के लिये ऐसा कोई व्यक्ति पात्र नहीं होगा जिसके बारे में नैतिक मर्यादा से जुड़े किसी अपराध के लिये अदालत ने दोषसिद्धि की हो।
  37. अजा/अजजा/पीडब्ल्यूबीडी और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट है।
  38. ऊपर विनिर्दिष्ट उम्मीदवारों को छोड़कर, पद के लिये आवेदन करने वालों को (जोन के भीतर किसी एक के लिये) डेबिट कार्ड (रूपे/वीसा/मास्टर कार्ड/मेस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड्स/मोबाइल वॉलेट, यूपीआई का प्रयोग करते हुए स्क्रीन पर पृष्ठी गई सूचना उपलब्ध कराते हुए 800/- रु. आवेदन शुल्क (जीएसटी सहित परंतु बैंक प्रभार रहित) का भुगतान प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
  39. परीक्षा के संचालन में कुछेक समस्या होने की संभावना से पूरी तरह इंकार नहीं किया जा सकता जो कि टैस्ट डिलीवरी और/अथवा सृजित हो रहे परिणाम को प्रभावित कर सकती है। ऐसी अवस्था में इस तरह की समस्या में सुधार करने के सभी प्रयास किये जायेंगे, जिसमें उम्मीदवारों के मूवमेंट, परीक्षा में देरी शामिल हो सकती है। पुनः परीक्षा का आयोजन परीक्षा आयोजन संस्था के पूर्ण विवेकाधीन होगा। पुनः परीक्षा के लिये उम्मीदवारों का कोई दावा नहीं होगा। जो उम्मीदवार मूल करने के लिये इच्छुक नहीं होंगे अथवा टैस्ट डिलीवरी की देरी की प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक नहीं होंगे उन्हें प्रक्रिया से सरसरी तौर पर नामंजूर कर दिया जायेगा।
  40. यदि परीक्षा एक से अधिक सत्र के लिये आयोजित की जाती है, विभिन्न सत्रों के स्कोर को विभिन्न सत्रों में प्रयुक्त भिन्न-भिन्न टैस्ट बैटरीज के कठिन स्तर में थोड़ा अंतर करने के लिये समायोजन हेतु समानता प्रदान की जायेगी। यदि किसी भी केंद्र में अथवा किसी उम्मीदवार के लिये कोई तकनीकी बाधा उत्पन्न होती है अथवा क्षमता कम होती है तो अपेक्षित होने पर एक से अधिक सत्र हो सकता है।
  41. व्यक्तिशः उम्मीदवारों के प्रत्युत्तर (उत्तर) का सही और गलत उत्तरों की समानता की पद्धति का पता लगाने के लिये अन्य उम्मीदवारों के साथ मूल्यांकन किया जायेगा। यदि मूल्यांकन प्रक्रिया में यह पता चला/निष्कर्ष निकला कि प्रत्युत्तरों को आपस में बांटा गया है और प्राप्त स्कोर वास्तविक/वैध नहीं है, भारतीय खाद्य निगम के पास संबंधित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है और ऐसे उम्मीदवारों के परिणाम (अयोग्य) रोक दिया जायेगा।
  42. **स्कोर्स पर पहुंचने की प्रक्रिया**  
ऑनलाइन परीक्षा के स्कोर्स निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्राप्त किये जाते हैं:  
(i) किसी उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सही उत्तर दिये गये प्रश्नों की संख्या को गलत उत्तरों के लिये पेनाल्टी लागू करने के उपरांत सही स्कोर हासिल करने हेतु विचार में लिया जायेगा।  
(ii) इस तरह उम्मीदवार द्वारा प्राप्त सही स्कोर इक्वेटिड स्कोर्स\* पर पहुंचने के लिये भिन्न-2 सत्रों में आयोजित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में कठिन स्तर में, यदि कोई है, छोटे-मोटे अंतर को ध्यान में रखते हुए समकक्ष बनाया जाता है।  
\* किसी भी परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त स्कोर्स सभी प्रकार से स्कोर्स के वितरण पर विचार करते हुए आधार प्रकृति के समकक्ष किया जाता है।
  43. **बायोमीट्रिक डॉटा-कैप्चरिंग और सत्यापन**  
बायोमीट्रिक डॉटा (हाथ के अंगूठे का निशान) और उम्मीदवारों का फोटोग्राफ उन उम्मीदवारों के लिये चरण-2 परीक्षा की तिथि को प्राप्त किया जायेगा जो कि चरण-2 परीक्षा के उपरांत अर्हता प्राप्त करते हैं और चरण-1 परीक्षा के लिये उपस्थित होते हैं।  
बायोमीट्रिक डॉटा और फोटोग्राफ का बाद में सत्यापन किया जायेगा। इसकी स्थिति (मिलान होता है अथवा नहीं) के संबंध में बायोमीट्रिक डॉटा सत्यापन प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिये बाध्यकारी होगा।
- उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे निर्बाध प्रक्रिया के लिये निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखें :-**
- ♦ यदि उंगलियां कोटेड (स्टैम्पड इंक/मेंहदी/रंग आदि) हैं तो उनकी अच्छी तरह से धुलाई सुनिश्चित करें ताकि कोटिंग परीक्षा/साक्षात्कार/ज्वाइनिंग तिथि से पहले पूरी तरह से हट जाये।
  - ♦ यदि उंगलियों पर धूल है या वे धुंधली हैं तो उन्हें अच्छी तरह से धो लें तथा फिंगर प्रिंट (बायोमीट्रिक) लेने से पहले इन्हें सूखा कर लें।
  - ♦ दोनों हाथों की उंगलियां सूखी हों, यह सुनिश्चित करें। यदि उंगलियां गीली हैं, प्रत्येक उंगली को साफ कर लें और सूखा कर लें।
  - ♦ यदि मुख्य उंगली (अंगूठा) को कैप्चर किया जाना है और वह चोटिल/क्षतिग्रस्त है, परीक्षा केंद्र में संबंधित प्राधिकारी को तत्काल सूचित करें।
- ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया**
1. **निम्नलिखित के लिये विस्तृत दिशानिर्देश/प्रक्रियाएं**  
क. आवेदन का पंजीकरण  
ख. फीस का भुगतान  
ग. दस्तावेज स्कैन और अपलोड  
उम्मीदवार केवल ऑनलाइन पद्धति से 28.09.2019 को 10.00 बजे (आईएसटी) से दिनांक 27.10.2019 को 16.00 बजे (आईएसटी) तक आवेदन कर सकते हैं आवेदन की कोई अन्य पद्धति स्वीकार्य नहीं होगी।
  2. **पंजीकरण से पहले नोट किये जाने हेतु महत्वपूर्ण बिंदु**  
(i) अपने स्कैन करें:-  
- फोटोग्राफ (4.5 सें.मी × 3.5 सें.मी)  
- हस्ताक्षर (काली स्याही से)  
- बाएं हाथ के अंगूठे का निशान (सफेद कागज पर काली या नीली स्याही के साथ)  
- एक हस्तलिखित घोषणा (काली स्याही से सफेद कागज पर) (विषयवस्तु नीचे दी गई है)  
सुनिश्चित करें कि ये सभी स्कैन किये गये दस्तावेज विज्ञापन में दी गई अपेक्षित विशिष्टताओं के अनुरूप हैं।  
(ii) कैपिटल लैटर्स में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।  
(iii) बायें हाथ के अंगूठे के निशान को सही प्रकार से स्कैन करना चाहिये और यह धुंधला न हो (यदि उम्मीदवार का बायें हाथ का अंगूठा नहीं है तो वह आवेदन करने के लिये दायें हाथ के अंगूठे का प्रयोग कर सकता है)  
(iv) **हस्तलिखित घोषणा की विषयवस्तु निम्नानुसार है-**  
"मैं,.....(उम्मीदवार का नाम), एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि आवेदन प्रपत्र में मेरे द्वारा प्रेषित की गई सभी सूचनाएं सही, सत्य और वैध हैं। जब भी अपेक्षित होगा मैं समर्थित दस्तावेज प्रस्तुत कर दूंगा".  
(v) ऊपर वर्णित लिखित घोषणा का उम्मीदवार को अपनी लिखाई में और केवल अंग्रेजी में उल्लेख करना होगा। यदि इसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा किसी अन्य भाषा में लिखा और अपलोड किया जायेगा तो आवेदन को अवैध माना जायेगा। (दृष्टि बाधित उम्मीदवारों के मामले में, जो लिख नहीं सकते हैं, वे घोषणा की विषयवस्तु को टंकित करा सकते हैं और टंकित घोषणा के नीचे अपने बायें हाथ के अंगूठे का निशान लगायें तथा दस्तावेज को विनिर्दिष्ट किये अनुसार अपलोड कर दें।)  
(vi) अपेक्षित आवेदन शुल्क ऑनलाइन भुगतान करने के लिये आवश्यक विवरण/दस्तावेज तैयार रखें।  
(vii) अपना वैध निजी ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर रखें, जिसे इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिये। परीक्षा आदि के लिये बुलावा पत्र डाउनलोड करने की सूचना पंजीकृत ई-मेल आईडी के जरिए भेजी जा सकती है। यदि उम्मीदवार का वैध निजी ई-मेल आईडी नहीं है, उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले नया ई-मेल आईडी और मोबाइल नं. सृजित कर लेना चाहिये तथा ई-मेल खाते और मोबाइल नंबर को बनाये रखा जाना चाहिये।

3. आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय) ऑनलाइन फीस का भुगतान: 28.09.2019, 10.00 बजे (आईएसटी) से 27.10.2019, 16.00 बजे (आईएसटी) तक.

आवेदन शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के लिये बैंक ट्रांजैक्शन प्रभारों/सूचना प्रभारों को उम्मीदवार को वहन करना होगा.

क. आवेदन पंजीकरण

- उम्मीदवारों को भारतीय खाद्य निगम की वेबसाइट ([www.fci.gov.in](http://www.fci.gov.in)) पर जाना होगा और 'APPLY ONLINE' विकल्प को क्लिक करें जिसमें एक नई स्क्रीन खुल जायेगी.
- आवेदन के पंजीकरण के लिये 'Click here for New Registration' टैब करें और अपना नाम, संपर्क विवरण तथा ई-मेल आईडी का विवरण भरें. सिस्टम से एक अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड सृजित होगा तथा स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा. उम्मीदवार को अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को नोट कर लेना चाहिये. एक ई-मेल और एसएमएस जिसमें अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उल्लेख होगा, भी भेजी जायेगी.
- यदि उम्मीदवार एक बार में आवेदन प्रपत्र को पूरा करने में समर्थ नहीं होता है वह 'SAVE AND NEXT' टैब चुनते हुए पहले से दर्ज ऑनलाइन विवरण को सेव कर सकता है. ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में विवरण की जांच करने के लिये 'SAVE AND NEXT' सुविधा का प्रयोग करें और यथापेक्षित इसमें सुधार कर लें. दृष्टि बाधित उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र ध्यानपूर्वक भरना चाहिये और विवरण का सत्यापन कर लेना चाहिये ताकि अंतिम प्रस्तुति से पहले यह सुनिश्चित किया जा सके कि विवरण सही है.
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना विवरण ध्यान पूर्वक भरें और भरे गये विवरण का सत्यापन करा लें क्योंकि फाइनल सबमिट बटन क्लिक करने के बाद कोई बदलाव संभव/विचारित नहीं होगा.
- उम्मीदवार के नाम अथवा उसके पिता/पति आदि के नाम को आवेदन पत्र में ठीक उसी प्रकार सही सही अक्षरों में लिखा जाना चाहिये जैसा कि प्रमाणपत्रों/अंक शीटों/पहचान के सबूतों में दर्ज है. कोई भी परिवर्तन/बदलाव पाये जाने पर उम्मीदवार अयोग्य हो जायेगा.
- अपने विवरण को 'अपना विवरण वैध करें' और 'सेव एंड नेक्स्ट' बटन को क्लिक करते हुए वैध करें तथा आवेदन पत्र को सेव कर लें.
- उम्मीदवार बिंदु "ग" के अधीन दिये गये विवरण के अनुसार फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैनिंग और अपलोड के लिये दिशानिर्देशों में दी गई विशिष्टताओं के अनुसार फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड कर सकते हैं.
- उम्मीदवार आवेदन प्रपत्र में अन्य विवरण भरने के लिये आगे बढ़ सकते हैं.
- फाइनल सबमिट से पहले समूचे आवेदन प्रपत्र के प्रिव्यू और सत्यापन के लिये प्रिव्यू टैब पर क्लिक करें.
- यदि अपेक्षित है तो विवरण में सुधार कर लें और केवल जांच तथा यह सुनिश्चित करने के बाद कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और भरा गया अन्य विवरण सही है, फाइनल सबमिट बटन को क्लिक करें
- "भुगतान" टैब पर क्लिक करें तथा भुगतान के लिये आगे बढ़ें.
- "सबमिट" बटन पर क्लिक करें.

ख. शुल्कों का भुगतान-ऑनलाइन पद्धति

- आवेदन प्रपत्र को भुगतान गेटवे के साथ जोड़ा गया है और निम्नलिखित अनुदेशों के साथ भुगतान की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है:-
- पद के लिये आवेदन कर रहे उम्मीदवार (जोन के भीतर कोई एक) के लिये 800/- रु. के आवेदन शुल्क का भुगतान (बैंक प्रभार को छोड़कर परंतु जीएसटी सहित) करना अपेक्षित है. भुगतान डेबिट कार्ड (रूपे/ वीसा/ मास्टर कार्ड/मेस्ट्रो), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, केश कार्ड/मोबाइल वालेट/यूपीआई का प्रयोग करते हुए किया जा सकता है.
- अजा/अजजा/पीडब्ल्यूबीडी और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट है.
- ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अपनी भुगतान सूचना प्रस्तुत करने के उपरांत कृपया सर्वर से सूचना प्राप्त होने का इंतजार करें. दोहरे चार्ज से बचने के लिये बैंक या रिफ्रेश बटन न दबाएं.
- ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक पूरा होने पर ई-रसीद सृजित होगी.
- भुगतान विफलता के उल्लेख के साथ 'ई-रसीद' सृजित न होना. भुगतान विफल होने पर उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उल्लेख करते हुए पुनः लॉगिन करें तथा भुगतान प्रक्रिया पूरी करें.
- उम्मीदवारों के लिये ई-रसीद और फीस के विवरण वाले ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र का प्रिंट आउट लेना अपेक्षित है. कृपया नोट कर लें कि यदि इसे सृजित नहीं किया जा सकता है, तो हो सकता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सफल न हुआ हो.
- क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिये: सभी प्रभार भारतीय रुपये में सूचीबद्ध किये जाते हैं यदि आप कोई गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करते हैं आपका बैंक लागू विनिमय दरों के आधार पर स्थानीय मुद्रा में आपका बैंक इसे कन्वर्ट कर देगा.
- अपने विवरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कृपया अपनी ट्रांजैक्शन पूरा करने के बाद ब्राउजर विंडो को बंद कर दें.
- फीस के भुगतान के बाद फीस के विवरण युक्त आवेदन प्रपत्र का प्रिंट लेने की सुविधा है.

ग. दस्तावेजों की स्कैनिंग और अपलोड के लिये दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवार के लिये अपने फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को नीचे विनिर्दिष्ट किये अनुसार स्कैन (डिजिटल) ईमेज तैयार करना अपेक्षित होगा.

फोटोग्राफ इमेज:

- फोटोग्राफ हाल का पासपोर्ट आकार का रंगीन चित्र अवश्य होना चाहिये.
- सुनिश्चित करें कि चित्र रंगीन है, हल्के रंग में, वरीयतन सफेद पृष्ठभूमि के साथ ली गई है.
- आराम की मुद्रा में कैमरा पर सीधे देखें.
- यदि धूप वाले दिन फोटो लिया गया है तो सूर्य आपके पीछे होना चाहिये अथवा अपने आपको इस प्रकार रखें कि भंगापन न हो और कोई अनावश्यक परछाई न हो.
- यदि आपको फ्लैश का प्रयोग करना है तो सुनिश्चित करें कि "लाल-आंख" न हो.
- यदि आप चश्मे का प्रयोग कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्शन नहीं है और आपकी आंखें साफ देखी जा सकती हैं.
- टोपी, पगड़ी और घने चश्मे स्वीकार्य नहीं हैं. धार्मिक पगड़ी की अनुमति है लेकिन इससे आपका चेहरा ढका हुआ नहीं होना चाहिये.
- डाइमेंशन 200 x 230 पिक्सल्स (वरीयतन)
- फाइल का आकार 20 केबी -50 केबी के मध्य होना चाहिये.
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का आकार 50 केबी से अधिक न हो. यदि फाइल का आकार 50 केबी से अधिक है तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान डीपीआई रेजोल्यूशन, रंगों की संख्या आदि जैसी स्कैनर की सेटिंग्स से समायोजित करें.
- यदि फोटो के स्थान पर फोटो अपलोड नहीं की जाती है तो परीक्षा में प्रवेश नामंजूर/अस्वीकार किया जा सकता है. इसके लिये उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होगा.
- उम्मीदवार को यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड किये गये हैं. यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर सही प्रकार से अपलोड नहीं किये गये हैं, तो उम्मीदवार को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी.

उम्मीदवार को यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि अपलोड की जाने वाली फोटो अपेक्षित आकार की है और चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा हो.

हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हस्त लिखित घोषणा इमेज:

- आवेदक को काली स्याही के पैन के साथ सफेद कागज पर हस्ताक्षर करने होंगे.
- आवेदक को अपने बायें हाथ के अंगूठे का निशान काली या नीली स्याही से सफेद कागज पर लगाना होगा.
- आवेदक को घोषणा अंग्रेजी में काली स्याही के साथ सफेद कागज पर स्पष्ट तौर पर लिखनी होगी.
- हस्ताक्षर, बायें हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा आवेदक की होनी चाहिये और किसी अन्य व्यक्ति की न हो.
- हस्ताक्षर को बुलावा पत्र पर और जब कभी भी आवश्यक हो प्रयोग में लाया जायेगा. यदि आवेदक के परीक्षा के समय उपस्थिति शीट या बुलावा पत्र पर किये गये हस्ताक्षर का अपलोड किये गये हस्ताक्षर से मिलान नहीं होता है तो आवेदक अयोग्य हो जायेगा.
- हस्ताक्षर/हस्तलिखित घोषणा कैपिटल लैटर्स में स्वीकार्य नहीं होगी.
- फाइल टाइप : jpg/jpeg
- डायमेंशन : 140 X 30 पिक्सल (वरीयतः)
- फाइल आकार : 10 केबी-20 केबी के बीच

बायें हाथ के अंगूठे का निशान:

- आवेदक को काली या नीली स्याही के साथ सफेद कागज पर अपने बायें हाथ के अंगूठे का निशान लगाना होगा.
- हस्तलिखित घोषणा आवेदक की होनी चाहिये न कि किसी अन्य व्यक्ति की.
- फाइल टाइप: jpg/jpeg
- डाइमेंशन: 240 x 240 पिक्सल्स, 200 डीपीआई में (वरीयतन अपेक्षित गुणवत्ता में) अर्थात 3 सें.मी. x 3 सें.मी (चौड़ाई x ऊंचाई)
- फाइल साइज़: 20 केबी-50 केबी

हस्तलिखित घोषणा:

- हस्तलिखित घोषणा की विषयवस्तु "पंजीकरण से पहले नोट किये जाने वाले बिंदु" शीर्षक के अधीन बिंदु iv पर दी गई है.
- हस्तलिखित घोषणा कैपिटल लैटर्स में नहीं होनी चाहिये.
- आवेदक को काली या नीली स्याही के साथ सफेद कागज पर अंग्रेजी में स्पष्ट तौर पर घोषणा लिखनी होगी.
- हस्तलिखित घोषणा आवेदक की होनी चाहिये और न कि किसी अन्य व्यक्ति की.
- हस्तलिखित घोषणा
- फाइल टाइप: jpg/jpeg
- डाइमेंशन: 800 x 400 पिक्सल्स, 200 डीपीआई में (वरीयतन अपेक्षित गुणवत्ता में) अर्थात 10 सें.मी. x 5 सें.मी (चौड़ाई x ऊंचाई)
- फाइल साइज़: 50 केबी-100 केबी

दस्तावेजों की स्कैनिंग:

- स्कैनर रिजोल्यूशन को न्यूनतम 200 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) पर निर्धारित करें.
- रंग को टू कलर में निर्धारित करें.
- इमेज को स्कैनर में बायें हाथ के अंगूठे के निशान/हस्त लिखित घोषणा के धरातल तक क्रॉप करें, इसके बाद अंतिम आकार (ऊपर यथा विनिर्दिष्ट) में इमेज क्रॉप करने के लिये अपलोड एडिटर का प्रयोग करें.
- इमेज फाइल जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिये. एक उदाहरण के तौर पर फाइल का नाम है: image01.jpg अथवा image01.jpeg.
- इमेज डाइमेंशन की जांच फोल्डर फाइलों को सूचीबद्ध करते हुए या फाइल इमेज आइकन पर माउस घुमाते हुए की जा सकती है.
- एमएस विंडोज/एमएस ऑफिस का प्रयोग करने वाले उम्मीदवार आसानी से एमएस पेंट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर का प्रयोग करते हुए jpeg फॉर्मेट में दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं. स्कैन किये गये दस्तावेज किसी भी फॉर्मेट में फाइल मेनू में 'सेव एज' प्रयोग करके .jpg अथवा .jpeg में किये जा सकते हैं. क्रॉप और इसके बाद रीसाइज ऑप्शन का प्रयोग करके साइज को समायोजित किया जा सकता है.

यदि फाइल का आकार और फॉर्मेट निर्धारित किये गये अनुसार नहीं है, एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा.

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बायें हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के लिये एक लिंक प्रदान किया जायेगा.

दस्तावेज अपलोडिंग करने के लिये प्रक्रिया

- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को बायें हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के लिये अलग अलग लिंक प्रदान किये जायेंगे.
- संबंधित लिंक "बायें हाथ का निशान /लिखित घोषणा अपलोड करें" पर क्लिक करें.
- ब्राउज करें और उस लोकेशन को चुनें जहां पर स्कैन किया गया बायें हाथ के अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा की फाइल सेव करके रखी गई है.
- इस पर क्लिक करते हुए फाइल चुनें.
- 'ओपन/अपलोड' बटन पर क्लिक करें. जब तक आप अपने बायें हाथ के अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा विनिर्दिष्ट किये अनुसार अपलोड नहीं कर देते हैं तब तक आपका ऑनलाइन आवेदन रजिस्टर नहीं होगा.
- यदि आकार और फॉर्मेट निर्धारित किये अनुसार नहीं है तो त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा.
- अपलोडिड इमेज के प्रिव्यू से आपको इमेज की गुणवत्ता देखने में सहायता मिलेगी. अस्पष्ट/धुंधली होने के मामले में इसे अपेक्षित स्पष्टता/गुणवत्ता के साथ पुनः अपलोड किया जा सकता है.

नोट:

- यदि बायें हाथ के अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा स्पष्ट/धुंधली है तो उम्मीदवार को आवेदन को नामंजूर कर दिया जायेगा.
- बायें हाथ के अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड करने के बाद उम्मीदवार जांच कर लें कि इमेज स्पष्ट है और निर्धारित स्थान पर सही प्रकार अपलोड हो गई है. यदि बायें हाथ के अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा सही तरह से दिखाई नहीं दे रही है तो उम्मीदवार को अपना आवेदन एडिट करना चाहिये और आवेदन प्रस्तुत करने से पहले अंगूठे के निशान/हस्तलिखित घोषणा को पुनः लोड करना चाहिये.
- ऑनलाइन पंजीकरण के बाद उम्मीदवारों को अपने सिस्टम सृजित ऑनलाइन आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट ले लेना चाहिये.

नोट : उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि फोटो, हस्ताक्षर, हस्तलिखित घोषणा और अंगूठे का निशान उक्त अनुदेशों के अनुसार और केवल निर्धारित स्थान ठीक तरह से अपलोड हो गए हैं. इनमें से किसी के भी गलत अपलोड होने पर आवेदनपत्र रद्द किया जा सकता है.

कदाचार/अनुचित तरीके अपनाये जाने के दोषी पाये गये उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि उन्हें ऐसा कोई विवरण प्रस्तुत नहीं करना चाहिये जो कि झूठा, कांठ छंट किया हुआ या बनावटी हो और ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई तथ्यात्मक सूचना नहीं छिपानी चाहिये. परीक्षा, साक्षात्कार अथवा बाद की चयन प्रक्रिया के समय यदि उम्मीदवार निम्नलिखित का दोषी है/पाया जाता है:-

- (i) अनुचित तरीके अपनाया जाना या



- (ii) छद्म रूपण या किसी अन्य से छद्मरूपण प्राप्त करना **अथवा**
- (iii) परीक्षा/साक्षात्कार हाल में दुर्व्यवहार करना या परीक्षा की विषयवस्तु या इसकी कोई अन्य सूचना का पूर्णतः अथवा आंशिक तौर पर किसी भी प्रकार, मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिकी या मैकेनिकी किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रकटन, प्रकाशन, पुनः उत्पादन, प्रेषण, भण्डारण अथवा प्रेषण और भण्डारण में सहायता करना **अथवा**
- (iv) अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित तरीके का सहारा लेना **अथवा**
- (v) अनुचित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त करना, **अथवा**
- (vi) परीक्षा/साक्षात्कार हाल में मोबाइल फोन या इसी तरह के संचार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना, ऐसे किसी उम्मीदवार पर आपराधिक मुकदमा किये जाने के अलावा, निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है:
- (क) उस परीक्षा के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसके लिये वह उम्मीदवार है.
- (ख) निगम द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के लिये स्थाई तौर पर अथवा एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिये प्रतिबंधित करना.
- (ग) यदि वह पहले ही निगम की सेवा में शामिल हो चुका है, सेवा से बर्खास्तगी.

**अनंतिम अनुसूची**

1.	ऑनलाइन आवेदन की प्रस्तुति शुल्क के भुगतान शुरू होने की तिथि	28.09.2019 में 10.00 बजे (आईएसटी) से
2.	ऑनलाइन आवेदन की प्रस्तुति एवं शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि और समय	27.10.2019 के 16.00 बजे (आईएसटी) तक
3.	डाउनलोड करने के लिये वेबसाइट पर प्रवेश-पत्रों की उपलब्धता	परीक्षा के लिये घोषित तिथि से लगभग 10 दिन पूर्व
4.	ऑनलाइन परीक्षा की तिथि	वेबसाइट: <a href="http://www.fci.gov.in">www.fci.gov.in</a> पर घोषणा की जायेगी. अनंतिम रूप से नवंबर/दिसंबर 2019

**नोट:** उम्मीदवार नियमित अद्यतनों के लिये एफसीआई की वेबसाइट: [www.fci.gov.in](http://www.fci.gov.in) के संपर्क में रहें. ऑनलाइन पंजीकरण केवल 28.09.2019, 10.00 बजे (आईएसटी) से 27.10.2019, 16.00 बजे (आईएसटी) तक सक्रिय रहेगा. अंतिम समय की भागदौड़ से बचने के लिये उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्त समय रहते आवेदन करें. भारतीय खाद्य निगम नेटवर्क समस्या या ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुति में होने वाली किसी अन्य समस्या के लिये जिम्मेदार नहीं होगा.

**अनुलग्नक-क**

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रपत्र**

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से होने का दावा करता है, उसे अपने दावे के समर्थन में नीचे दिये गये प्रारूप पर, जिला अधिकारी या उप-मंडलीय अधिकारी या उस जिले, जिसमें उसके माता-पिता, (या जीवित माता-पिता) साधारणतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी से, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाण पत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी होगी. यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी, अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त, सामान्यतः रहता हो. जहां कहीं भी फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, तो आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा, कोई अन्य प्रमाणित या सत्यापित प्रतिलिपि नहीं.

**भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी\* ..... पुत्र/पुत्री\* श्री..... निवासी ग्राम/कस्बा\* ..... जिला/संभाग\* ..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र\* ..... जाति/जनजाति\* से संबंधित हैं. जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यताप्राप्त है:-

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित जाति) संघ शासित प्रदेश आदेश, 1951\*
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ शासित प्रदेश आदेश, 1951\*
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश 1956 बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976\* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959
- संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@
- संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@
- संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@
- संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@
- संविधान (नगालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002
- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

**% 2.** यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है, जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में प्रवास कर गए हैं.

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी\* ..... के माता/पिता श्री/श्रीमती ..... निवासी ग्राम/कस्बा\* ..... जिला/संभाग\* ..... में प्रदेश/संघ शासित प्रदेश\* .....को प्रदत्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है. जो .....जाति/जनजाति से संबंधित हैं, और जो .....दिनांक .....के द्वारा जारी आदेश के अनुसार..... राज्य/संघ शासित प्रदेश\* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यताप्राप्त है

**% 3** श्री/श्रीमती/कुमारी ..... और/या\* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा\* ..... जिला/संभाग\* .....

..... राज्य/संघ शासित प्रदेश .....में रहता है.

हस्ताक्षर .....

\*\*पदनाम .....

(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान.....

दिनांक.....

\* जो लागू न हों उन्हें काट दें.

@ राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें.

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें.

**टिप्पणी:** यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है.

**\*\* अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची;**

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अतिरिक्त उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/ सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त/ तालुका मजिस्ट्रेट/ एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट.

(ii) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट.

(iii) राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो.

(iv) उस क्षेत्र का सब डिवीजनल ऑफिसर, जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है.

**नोट :** तमिलनाडु राज्य से सम्बद्ध अजजा उम्मीदवारों को केवल राजस्व डिवीजनल अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए.

**अनुलग्नक-ख**

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....पुत्र/पुत्री श्री .....ग्राम ..... जिला/संभाग .....प्रदेश ..... के निवासी .....समुदाय से संबंधित है जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यताप्राप्त है:

- (i) भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-1, खंड-1, सं. 186 दिनांक 13 सितंबर, 1993 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/93-बीसीसी (सी) दिनांक 10 सितंबर, 1993
- (ii) भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-1, खंड-1, सं. 163 दिनांक 20 अक्टूबर, 1994 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/9/94-बीसीसी दिनांक 19 अक्टूबर, 1994
- (iii) भारत के आधारण राजपत्र के भाग-1, खंड-1, सं. 88 दिनांक 25 मई, 1995 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/7/95-बीसीसी दिनांक 24 मई, 1995.
- (iv) संकल्प सं. 12011/96/94-बीसीसी, दिनांक 9 मार्च, 1996.
- (v) भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-1, खंड-1, सं. 210 दिनांक 11 दिसंबर, 1996 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/44/96-बीसीसी, दिनांक 6 दिसंबर, 1996
- (vi) संकल्प सं. 12011/13/97-बीसीसी, दिनांक 3 दिसंबर, 1997.
- (vii) संकल्प सं. 12011/99/94-बीसीसी, दिनांक 11 दिसंबर, 1997.
- (viii) संकल्प सं. 12011/68/98-बीसीसी, दिनांक 27 अक्टूबर, 1999.
- (ix) भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-1, खंड-1, सं. 270 दिनांक 6 दिसंबर, 1999 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/88/99-बीसीसी दिनांक 6 दिसंबर, 1999.
- (x) भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-1, खंड-1, सं. 71 दिनांक 4 अप्रैल, 2000 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/36/99-बीसीसी दिनांक 4 अप्रैल, 2000.
- (xi) भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-1, खंड-1, सं. 210 दिनांक 21 सितंबर, 2000 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/44/99- बीसीसी दिनांक 21 सितंबर, 2000.
- (xii) भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-1, खंड 1, संख्या 246 में 6 सितंबर, 2001 को प्रकाशित संकल्प सं. 12015/9/2000-बीसीसी दिनांक 6 सितंबर, 2001.
- (xiii) भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-1, खंड-1, संख्या 151 में 20 जून, 2003 को प्रकाशित संकल्प सं. 12011/1/2001-बीसीसी दिनांक 19 जून 2003.
- (xiv) भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-1, खंड-1, संख्या 9 में 13 जनवरी, 2004 को प्रकाशित संकल्प सं. 12011/4/2002-बीसीसी दिनांक 13 जनवरी, 2004.
- (xv) भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-1, खंड-1, संख्या 67 में 12 मार्च, 2007 को प्रकाशित संकल्प सं. 12011/14/2004-बीसीसी दिनांक 12 मार्च, 2007.

श्री .....तथा/या उनका परिवार साधारणतया .....राज्य के .....जिला/संभाग में रहते हैं.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08-09-1993 की कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. (एससीटी) जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9.3.2004 और 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/3/2004-स्था. (आरईएस) के तहत संशोधित किया गया है, की अनुसूची के कॉलम-3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं.

दिनांक: .....

मुहर: .....

जिलाधीश या उपायुक्त आदि

**टिप्पणी-I**

(क) : यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है.

(ख) : जाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गये हैं:

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडियरी मजिस्ट्रेट से नीचे की रैंक का न हो).

(ii) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट.

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो.

(iv) उस क्षेत्र का सब डिवीजनल ऑफिसर, जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है.

**टिप्पणी-II:**

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से उम्मीदवार के अपिब की स्थिति निर्धारण की तारीख मानी जायेगी. यह भी कि उम्मीदवार क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है.

**अनुलग्नक-ग**

..... सरकार (प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र सं. : .....

तिथि : .....

..... वर्ष के लिए वैध

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....स्थायी निवासी गांव/गली ..... डाकघर ..... जिला ..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र .....

पिन कोड ..... , जिसका फोटो नीचे सत्यापित किया गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है, क्योंकि वित्त वर्ष ..... हेतु उनकी/उनके परिवार \* की सकल वार्षिक आय \*\* 8 लाख रु. (केवल आठ लाख रुपये) से कम है. वह/उनका परिवार निम्नलिखित परिसंपत्ति \*\*\* का स्वामी नहीं है/धारण नहीं करता है :

- 5 एवं उसके अधिक एकड़ की कृषि भूमि.
- 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय प्लॉट.
- अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्गगज या अधिक क्षेत्रफल का आवासीय प्लॉट.
- अधिसूचित नगर पालिकाओं से भिन्न अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और अधिक क्षेत्रफल का आवासीय प्लॉट.

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जाति ..... से संबद्ध है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यताप्राप्त नहीं है.

अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर .....  
नाम : .....  
पदनाम : .....

उम्मीदवार का पासपोर्ट आकार का नया सत्यापित फोटो

- \* टिप्पणी-1 : सभी स्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, कार्य (प्रोफेशन) से आय.  
\*\* टिप्पणी-2 : इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसका परिवार, 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई/बहन तथा उसकी पत्नी/पति और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल हैं.  
\*\*\* टिप्पणी-3 : विभिन्न स्थलों या विभिन्न स्थानों/शहरों में किसी 'परिवार' द्वारा धारित संपत्ति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) स्थिति के निर्धारण हेतु भूमि या संपत्ति धारण जांच के लिए आवेदन करते समय शामिल.  
टिप्पणी : निम्नलिखित किसी प्राधिकारी द्वारा नीचे दिए गए निर्धारित प्रारूप में जारी आय एवं परिसंपत्ति प्रमाणपत्र को ही उम्मीदवार के ई.डब्ल्यू.एस. से संबंधित होने के दावे को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा :

- जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/ सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एगिज्यूटिव मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त.
- चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट.
- राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो.
- उस क्षेत्र का सब डिवीजनल ऑफिसर, जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है.

अनुलग्नक-घ-1

प्रपत्र-V

विकलांगता प्रमाणपत्र

(अंगों में इम्प्यूटेशन या पूर्ण स्थायी पक्षाघात के मामले में और नेत्रहीनता के मामले में)

(नियम 18 (1) देखें)

(प्रमाणपत्र जारीकर्ता चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

विकलांग व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का हाल का सत्यापित फोटो (केवल चेहरा दर्शाते हुए)

प्रमाणपत्र सं.: ..... दिनांक : .....

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ..... , जन्म तिथि (ति./मा./व.) ..... आयु ..... वर्ष, पुरुष/महिला ..... , पंजीकरण सं. .... स्थायी निवासी मकान सं. .... वार्ड/गांव/गली ..... डाकघर ..... जिला ..... राज्य ..... जिनका फोटो ऊपर लगा है, की ध्यानपूर्वक जांच की है, और मैं संतुष्ट हूँ कि

(क) उनका मामला निम्नलिखित का है :-  
● लोकोमोटर विकलांगता ● ड्वार्फिज्म  
● नेत्रहीनता  
(जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में ..... डायग्नोज हुआ है.  
(क) दिशा-निर्देशों (उल्लेख करें) के अनुसार उनके ..... (शरीर के अंग) में ..... % (अंकों में) ..... प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी शारीरिक बाधा/ड्वार्फिज्म/नेत्रहीनता है.

2. निवास के प्रमाण में उम्मीदवार ने निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत किए हैं :-

प्रलेख की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकारी के विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के अधिकृत हस्ताक्षर के हस्ताक्षर एवं मोहर)

अनुलग्नक-घ-2

प्रपत्र-VI

विकलांगता प्रमाणपत्र

(बहु विकलांगता के मामले में)

(नियम 18 (1) देखें)

(प्रमाणपत्र जारीकर्ता चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

विकलांग व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का हाल का सत्यापित फोटो (केवल चेहरा दर्शाते हुए)

प्रमाणपत्र सं.: ..... दिनांक : .....

प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ..... , जन्म तिथि (ति./मा./व.) ..... आयु ..... वर्ष, पुरुष/महिला ..... , पंजीकरण सं. .... स्थायी निवासी मकान सं. .... वार्ड/गांव/गली ..... डाकघर ..... जिला ..... राज्य ..... जिनका फोटो ऊपर लगा है, की ध्यानपूर्वक जांच की है, और मैं संतुष्ट हूँ कि

डाकघर ..... जिला ..... राज्य ..... जिनका फोटो ऊपर लगा है, की ध्यानपूर्वक जांच की है, और संतुष्ट हूँ कि :-

(क) वह बहु-विकलांगता से ग्रस्त है. उनकी स्थायी शारीरिक बाधा/विकलांगता की सीमा का, नीचे सही का निशान लगी तथा नीचे तालिका में संबंधित विकलांगता के सामने उल्लिखित विकलांगता का दिशानिर्देशों (दिशा निर्देशों के जारी करने की सं. .... और तारीख निर्दिष्ट की जाए) के अनुसार मूल्यांकन किया गया है :

क्र. सं.	विकलांगता	शरीर का प्रभावित अंग	डायग्नोसिस	स्थायी शारीरिक बाधा/मानसिक विकलांगता (% में)
1.	लोकोमोटर विकलांगता	@		
2.	मस्कुलर डिस्ट्रोफी			
3.	लेप्रोसी क्योर्ड			
4.	ड्वार्फिज्म			
5.	सेरेब्रल पल्सी			
6.	एसिड अटैक विकिटम			
7.	लो-विजन	#		
8.	दृष्टिहीनता	#		
9.	बधिर	£		
10.	हार्ड ऑफ हीयरिंग	£		
11.	स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी			
12.	इंटीलेक्चुअल डिसेबिलिटी			
13.	स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी			
14.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसेबिलिटी			
15.	मानसिक रुग्णता			
16.	क्रोनिक न्यूरोलोजिकल कंडीशन			
17.	मल्टीपल क्लेरोसिस			
18.	पार्किन्संस रोग			
19.	हीमोफीलिया			
20.	थेलसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			

(ख) उक्त के आलोक में, दिशानिर्देशों (निर्दिष्ट करें) के अनुसार उनकी सम्पूर्ण स्थायी शारीरिक बाधा निम्नानुसार है :-

- अंकों में : ..... प्रतिशत  
शब्दों में : ..... प्रतिशत  
2. वह स्थिति प्रगामी/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने/सुधार नहीं होने की संभावना है.  
3. विकलांगता का पुनः निर्धारण :  
(i) आवश्यक नहीं है या  
(ii) ..... वर्षों ..... महीनों के बाद अनुशांसा की जाती है, और इसलिए यह प्रमाणपत्र ..... / ..... / ..... (ति) (मा.) (वर्ष) तक वैध रहेगा.

- @ अर्थात बाई/दाई/दोनों भुजा/पैर  
# एक नेत्र  
£ अर्थात बायां/दायां/दोनों कान.

4. निवास के प्रमाण में उम्मीदवार ने निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत किए हैं:-

प्रलेख की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकारी के विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

सदस्य का नाम एवं मोहर	सदस्य का नाम एवं मोहर	अध्यक्ष का नाम एवं मोहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिनके लिए विकलांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुलग्नक-घ-3

प्रपत्र-VII

विकलांगता प्रमाणपत्र

(प्रपत्र V एवं VI में उल्लिखित से भिन्न मामलों में)

(प्रमाणपत्र जारीकर्ता चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

(नियम 18 (1) देखें)

विकलांग व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का हाल का सत्यापित फोटो (केवल चेहरा दर्शाते हुए)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिनके लिए विकलांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

प्रपत्र-VI

विकलांगता प्रमाणपत्र

(बहु विकलांगता के मामले में)

(नियम 18 (1) देखें)

(प्रमाणपत्र जारीकर्ता चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

विकलांग व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का हाल का सत्यापित फोटो (केवल चेहरा दर्शाते हुए)

प्रमाणपत्र सं.: ..... दिनांक : .....

प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ..... , जन्म तिथि (ति./मा./व.) ..... आयु ..... वर्ष, पुरुष/महिला ..... , पंजीकरण सं. .... स्थायी निवासी मकान सं. .... वार्ड/गांव/गली ..... डाकघर ..... जिला ..... राज्य ..... जिनका फोटो ऊपर लगा है, की ध्यानपूर्वक जांच की है, और मैं संतुष्ट हूँ कि

प्रमाणपत्र सं.: ..... दिनांक : .....  
प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ..... , जन्म तिथि (ति./मा./व.) ..... आयु ..... वर्ष, पुरुष/महिला ..... , पंजीकरण सं. .... स्थायी निवासी मकान सं. .... वार्ड/गांव/गली ..... डाकघर ..... जिला ..... राज्य ..... जिनका फोटो ऊपर लगा है, की ध्यानपूर्वक जांच की है, और मैं संतुष्ट हूँ कि  
वह ..... विकलांगता का मामला है. उनकी स्थायी शारीरिक बाधा/विकलांगता की सीमा का दिशानिर्देशों (दिशा निर्देशों के जारी करने की सं. .... और तारीख निर्दिष्ट की जाए) के अनुसार मूल्यांकन किया गया है और नीचे तालिका में संबंधित विकलांगता के सामने दर्शाई गई है:  
(शेष पृष्ठ 31 पर)

क्र. सं.	विकलांगता	शरीर का प्रभावित अंग	डायग्नोसिस	स्थायी शारीरिक बाधा/मानसिक विकलांगता (% में)
1.	लोकोमोटर विकलांगता	@		
2.	मस्कुलर डिस्ट्रोफी			
3.	लेप्रोसी क्योर्ड			
4.	सेरेब्रल पल्सी			
5.	एसिड अटैक विक्रिम			
6.	लो-विजन	#		
7.	बधिर	£		
8.	हार्ड ऑफ हीयरिंग	£		
9.	स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी			
10.	इंटीलेक्चुअल डिसेबिलिटी			
11.	स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी			
12.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसोर्डर			
13.	मानसिक रुग्णता			
14.	क्रोनिक न्यूरोलोजिकल कंडीशन			
15.	मल्टीपल क्लेरोसिस			
16.	पार्किन्संस रोग			
17.	हीमोफीलिया			
18.	थेलसीमिया			
19.	सिकल सेल रोग			

(जो विकलांगता लागू न हो उसे काट दें)

- यह स्थिति प्रगामी/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने/सुधार नहीं होने की संभावना है.
  - विकलांगता का पुनः निर्धारण :  
(i) आवश्यक नहीं है या  
(ii) ..... वर्षों ..... महीनों के बाद अनुशंसा की जाती है, और इसलिए यह प्रमाणपत्र ...../ ...../ ..... (ति) (मा.) (वर्ष) तक वैध रहेगा.
- @ अर्थात् बाई/दाई/दोनों भुजा/पैर  
# एक नेत्र/दोनों नेत्र  
£ अर्थात् बायां/दायां/दोनों कान.

- निवास के प्रमाण में उम्मीदवार ने निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत किए हैं:-

प्रलेख की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकारी के विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरी)  
(नाम और मोहर)

## प्रतिहस्ताक्षर

(यदि प्रमाणपत्र किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी (मोहर सहित) किया जाता है जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं तो किसी सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर एवं मोहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिनके लिए विकलांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

यदि यह प्रमाणपत्र किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं तो यह तभी मान्य होगा जब इस पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होंगे.

अनुलग्नक-ड

## किसी परीक्षार्थी की लिखने की शारीरिक सीमा से संबंधित प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... (विकलांग उम्मीदवार का नाम),.....(विकलांगता प्रमाणपत्र में यथा उल्लिखित विकलांगता की प्रकृति एवं प्रतिशतता) पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी.....(गांव/जिला/राज्य) की जांच की है और उसकी शारीरिक सीमा, उसकी विकलांगता के कारण उसकी लेखन-क्षमताओं में बाधक है.

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम और पदनाम

तिथि :

स्थान :

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य परिचर्या केंद्र का नाम एवं मोहर

टिप्पणी : प्रमाणपत्र संबंधित विषय/विकलांगता (अर्थात् दृष्टि बाधा-नेत्रविज्ञानी, लोकोमोटर विकलांगता-अस्थि-रोग विशेषज्ञ/पी.एम.आर.) द्वारा दिया जाना चाहिए.

अनुलग्नक-च

## घोषणा

हम, अधोहस्ताक्षरी, श्री/श्रीमती/कुमारी.....योग्यताधारी.....पात्र उम्मीदवार और श्री/श्रीमती/कुमारी .....योग्यताधारी ..... पात्र लेखक (स्क्राइबर), एतद्वारा घोषणा करते हैं कि

- लेखक उम्मीदवार द्वारा अपनी निजी लागत और अपनी पंसद से निर्धारित किया गया है.
- यदि यह पाया जाता है कि लेखक की योग्यता उम्मीदवार द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और लेखक की योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक स्तर कम नहीं है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी. ऐसे मामले में उम्मीदवार पद पर अपना अधिकार और उससे संबंधित दावे खो देगा.
- उम्मीदवार दृष्टिहीनता, लोको-मोटर बाधा (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) अक्षमता सहित सेरेब्रल पल्सी से प्रभावित है और उसकी लेखन गति प्रभावित है.
- निर्धारित विकलांगता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में उम्मीदवार को लेखक की व्यवस्था की अनुमति इस शर्त पर दी जा सकती है कि प्रलेख सत्यापन के समय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 29 अगस्त, 2018 के का. ज्ञा. संख्या 34-02/2015-डीडी-III के अनुसार उसे निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक- ड) में किसी सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी लिखने की शारीरिक सीमा है और मेरी तरफ से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइबर होना अनिवार्य है.
- नियमानुसार, लेखक की सेवाएं लेने वाला उम्मीदवार परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट के पूरक समय का पात्र है.

6. समय घटक के महत्व और परीक्षा की प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृति को देखते हुए, उम्मीदवार संगठन के चिकित्सा अधिकारी की पूर्ण संतुष्टि के लिए वचन देता है कि एक लेखक के उपयोग की आवश्यकता थी, क्योंकि उसकी (उम्मीदवार) लेखन गति उक्त बिंदु सं. 3 में उल्लिखित विकलांगता द्वारा प्रभावित है.

7. उम्मीदवार ने सुनिश्चित कर लिया है कि लेखक उसी भर्ती-प्रक्रिया हेतु उम्मीदवार नहीं है.

8. लेखक ने सुनिश्चित कर लिया है कि वह उसी भर्ती-प्रक्रिया में नहीं बैठ रहा है.

9. उक्त दिए गए सभी विवरण हमारे समस्त ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं. हम यह भी जानते हैं कि भर्ती के किसी चरण पर यदि यह पाया गया कि हम पात्रता मानदण्ड पूरा नहीं करते हैं और/या हमारे द्वारा दी गई सूचना गलत/असत्य है या हमने कोई महत्वपूर्ण सूचना छुपाई है तो उम्मीदवार (उम्मीदवार और लेखक यदि वह भी उसी परीक्षा में बैठता है तो दोनों) की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, भले ही परीक्षा का परिणाम कुछ भी हो. यदि इनमें से कोई भी कमियां उम्मीदवार की नियुक्ति के बाद पाई जाती हैं तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी. ऐसी परिस्थितियों में दोनों हस्ताक्षरकर्ताओं पर दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी.

मैं.....(लेखक का नाम) प्रमाणित करता हूँ कि मैं इस भर्ती हेतु उम्मीदवार नहीं हूँ.

मैं.....(उम्मीदवार का नाम), इस भर्ती का एक उम्मीदवार प्रमाणित करता हूँ कि मैंने यह सुनिश्चित कर लिया है कि उक्त लेखक इस भर्ती हेतु नहीं बैठ रहा है.

नीचे हमारे हस्ताक्षर एवं सम्पर्क विवरण दिए गए हैं :-

	लेखक	उम्मीदवार
	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
	नाम	नाम
	पता	
लेखक का फोटो	सम्पर्क का नंबर	सम्पर्क का नंबर

निरीक्षक के हस्ताक्षर

नोट : किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी का मूल पाठ मान्य होगा.

रो.स. 26/1